मध्यप्रदेश शासन

ऊर्जा विभाग

वार्षिक

प्रशासनिक प्रतिवेदन

वर्ष 2015-16

सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना जिला खण्डवा के प्रथम चरण की इकाईयों का लोकार्पण एवं द्वितीय चरण की इकाईयों का शिलान्यास करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

मध्यप्रदेश शासन

ऊर्जा विभाग

वार्षिक

प्रशासनिक प्रतिवेदन

वर्ष 2015-16

ऊर्जा विभाग, मध्यप्रदेश शासन

प्रस्तावना

मध्यप्रदेश देश के चुनिंदा राज्यों में से एक है, जहाँ सभी गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को 10 घंटे विद्युत प्रदाय की व्यवस्था की गई है। इस उपलब्धि के लिये विगत वर्षों में उत्पादन, पारेषण एवं वितरण के क्षेत्र में अद्योसंरचना के व्यापक कार्य किये गये हैं तथा इस हेतु विद्युत कंपनियों को राज्य शासन द्वारा आवश्यक वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। प्रदेश में दीर्घकालीन विद्युत क्रय अनुबंधों के माध्यम से विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता है, तथा भविष्य में भी यह स्थिति बनी रहेगी। वित्तीय वर्ष 2014—15 में रबी मौसम में विद्युत क्षेत्र ने कई नये आयाम स्थापित किये हैं। प्रदेश में पहली बार 10 हजार मेगावाट से अधिक की विद्युत आपूर्ति इस रबी मौसम में लगातार की गई है। प्रतिदिन लगभग 20 करोड़ यूनिट या इससे अधिक की विद्युत आपूर्ति इस रबी मौसम में की गई है।

राज्य के कृषकों, गरीबी रेखा से नीचे जीवन—यापन करने वाले उपभोक्ताओं आदि को प्रदेश की प्रगति की भागीदारी में शामिल करने के लिये राज्य शासन की अपेक्षा के अनुरूप कृषक हित में किसान समृद्धि योजना, स्थायी कृषि पम्प फ्लेट रेट योजना, कृषकों को नवीन स्थाई पम्प कनेक्शन देने की अनुदान योजना सहित शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के गरीबी रेखा से नीचे जीवन—यापन कर रहे उपभोक्ताओं के लिए दीनबंधु योजना लागू है। साथ ही सूखा प्रभावित फसलों वाले किसानों के बिजली बिलों के भुगतान आस्थगित किये जाने के साथ—साथ अधिभार में छूट भी राज्य शासन द्वारा प्रदान की गई है।

ऊर्जा विभाग के इस प्रतिवेदन में ऊर्जा विभाग की संरचना एवं कार्यकलाप के अलावा लोकहित की योजनाओं तथा उत्पादन, पारेषण एवं वितरण के क्षेत्र में किये गये महत्वपूर्ण कार्यों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है।

(राजेन्द्र शुक्ल)
ऊर्जा मंत्री

अनुक्रमणिका

क्र.	विषयवस्तु	पृष्ठ संख्या
1	विभागीय संरचना, ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत् विद्युत कंपनियाँ एवं विद्युत निरीक्षक कार्यालय	1–2
2	विद्युत आपूर्ति की स्थिति तथा भविष्य का अनुमान	3
3	राजस्व प्रबंधन – 3.1) राज्य में विद्युत उपभोक्ताओं की स्थिति 3.2) राजस्व प्राप्ति 3.3) व्यापार करने की सुगमता (Ease of doing business) 3.4) सूखे की स्थिति के कारण किसानों के बिजली बिलों के भुगतान का आस्थगन	3–5
4	ऊर्जा क्षेत्र की विभिन्न योजनायें – 4.1) किसान समृद्धि योजना 4.2) स्थायी कृषि पम्प फ्लेट रेट योजना 4.3) दीनबंधु योजना 4.4) कृषकों को नवीन स्थायी पम्प कनेक्शन देने की अनुदान योजना 4.5) अटल ज्योति अभियान 4.6) जले/खराब ट्रांसफार्मर बदलने की एस.एम.एस. आधारित योजना 4.7) स्वयं का ट्रांसफार्मर लगाने की योजना (ओ.वाय.टी.) 4.8) रबी 2015 के लिए वितरण ट्रांसफार्मरों की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना 4.9) विभिन्न योजनाओं में विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा किये गये, पूंजीगत कार्य – 4.9.1) प्रणाली सुदृढ़ीकरण 4.9.2) आर.ए.पी.डी.आर.पी. 4.9.3) ए.डी.बी. द्वारा वित्त पोषित परियोजना 4.9.4) फीडर विभक्तिकरण योजना 4.9.5) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अंतर्गत विद्युतीकरण के कार्य	5–9
5	म.प्र.पावर जनरेटिंग कंपनी की इकाईयों से विद्युत उत्पादन	9
6	संयंत्र उपयोगिता घटक	9
7	राज्य की निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाएं – 7.1) सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारणी 2X250 मेगावाट विस्तार इकाई क्रमांक 10 एवं 11, सारणी, जिला बैतूल 7.2) श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना(2X600 मेगावाट) प्रथम चरण (इकाई क्रमांक 1 एवं 2) ग्राम–डोंगलिया, जिला–खंडवा 7.3) श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना (2X660 मेगावाट) द्वितीय चरण (इकाई क्रमांक 3 एवं 4), ग्राम–डोंगलिया, जिला–खंडवा	9–13

8	प्रस्तावित जल आधारित विद्युत परियोजनाएं	13
9	राज्य में पारेषण संबंधी कार्य – 9.1) अति उच्चदाब पारेषण लाइनें एवं उपकेन्द्र 9.2) पारेषण लाइनों व उपकेन्द्रों की उपलब्धियाँ 9.3) भविष्य में पारेषण विस्तार योजना हेतु कार्यक्रम (बारहवीं पंचवर्षीय योजना, वर्ष 2012–17) 9.4) प्रणाली के समग्र उन्नयन के लिए नवीन तकनीकी ग्राह्यता 9.5) अंगीकृत प्रौद्योगिकी 9.6) वर्तमान और भविष्य का परिदृश्य 9.7) राज्य भार प्रेषण केन्द्र (Load Despatch Center) 9.8) ऊर्जा संरक्षण 9.9) गुणवत्ता आश्वासन (Quality Assurance)	13–22
10	ऊर्जा के क्षेत्र में प्रबन्धन – 10.1) विद्युत उत्पादन में क्षमता वृद्धि 10.2) नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से प्राप्त विद्युत	22
11	मध्यप्रदेश विद्युत निरीक्षकालय एवं उसकी गतिविधियां/क्रियाकलाप – 11.1) विद्युत निरीक्षकालय की गतिविधियां एवं आय–व्यय की जानकारी 11.2) विभागीय गतिविधियां (सांख्यिकी) 11.3) विद्युत दुर्घटनाओं के मुख्य कारण 11.4) अनुज्ञापन मण्डल संबंधी कार्य 11.5) तारमिस्त्री परीक्षा केन्द्र 11.6) पर्यवेक्षक परीक्षा केन्द्र 11.7) विद्युत शुल्क एवं उर्जा विकास उपकर	22–24
12	जेण्डर मुद्दों के संबंध में विभागीय पहल	24
13	प्रमुख विद्युत समंक – प्रपत्र 1 से 7	25–40

विभागीय वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2015–2016

ऊर्जा विभाग
विभाग की संरचना एवं क्रियाकलाप

ऊर्जा विभाग की वर्तमान संरचना :

प्रभारी मंत्री	श्री राजेन्द्र शुक्ल
सचिवालय –	
प्रमुख सचिव	श्री आई.सी.पी.केशरी
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी	श्री मुकुल धारीवाल
उप सचिव	श्री एस.के. शर्मा श्री पी.के.चतुर्वेदी श्री राजेश चौरसिया (नवम्बर 2015 तक) श्री नीरज अग्रवाल श्री व्ही.के.गौड़
अवर सचिव	सुश्री सीमा डहेरिया
विभागाध्यक्ष : मुख्य अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक	श्री एस.एस. मुजाल्दे

ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्यरत विद्युत कंपनियाँ एवं विद्युत निरीक्षक कार्यालय

मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल के पुनर्गठन के फलस्वरूप कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्गमित विद्युत उत्पादन, पारेषण, पावर मैनेजमेंट एवं तीन विद्युत वितरण कंपनियाँ राज्य में क्रमशः विद्युत ऊर्जा के उत्पादन, पारेषण, ट्रेडिंग एवं वितरण का कार्य कर रही है। ऊर्जा विभाग के अधीन विद्युत सुरक्षा एवं निरीक्षकालय कार्यरत है। ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक अधिकार के अंतर्गत कार्यरत विद्युत कंपनियाँ एवं विद्युत निरीक्षकालय की गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है –

क्र.	कंपनी	कार्य क्षेत्र	प्रमुख कार्य
(1)	(2)	(3)	(4)
1	म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी लिमि., जबलपुर	विद्युत उत्पादन	राज्य की ताप एवं जल विद्युत इकाईयों से उत्पादन
2	एम.पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमि., जबलपुर	तीनो वितरण कम्पनियों की होल्डिंग कंपनी के रूप में कंपनी का मुख्य कार्य विद्युत मांग की पूर्ति तथा विद्युत क्षेत्र की योजना तैयार करना	प्रदेश में विद्युत की मांग के अनुसार पूर्ति एवं उपलब्धता सुनिश्चित करना एवं आवश्यकतानुसार विद्युत का क्रय/विक्रय करना। यह कंपनी तीनों वितरण कंपनियों की होल्डिंग कंपनी है तथा विद्युत क्षेत्र की प्लानिंग का कार्य भी करती है।
3	म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमि., जबलपुर,	विद्युत पारेषण	पारेषण प्रणाली का संचालन एवं रख रखाव तथा आवश्यकता के अनुरूप नई पारेषण लाईनों तथा उपकेन्द्रों का निर्माण।

क्र.	कंपनी	कार्य क्षेत्र	प्रमुख कार्य
(1)	(2)	(3)	(4)
4	**म.प्र. पूर्व/पश्चिम/मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि., जबलपुर/ इंदौर/भोपाल**	विद्युत वितरण	विद्युत उपकेन्द्रों, लाईनों का निर्माण तथा संधारण। विद्युत संयोजनों का प्रदाय तथा विद्युत वितरण का कार्य।
5	**मुख्य अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक कार्यालय**	विद्युत सुरक्षा एवं निरीक्षण	घरेलू एवं औद्योगिक एवं अन्य उपयोगकर्ताओं के विद्युत प्रदाय के कार्यों का निरीक्षण, विद्युत शुल्क एवं उपकर की प्राप्ति, विद्युत सुरक्षा एवं विद्युत शुल्क एवं उपकर की चोरी की रोकथाम, निजी विद्युत उत्पादकों को अनुमति आदि।

विद्युत कम्पनियों की कार्पोरेट संरचना :

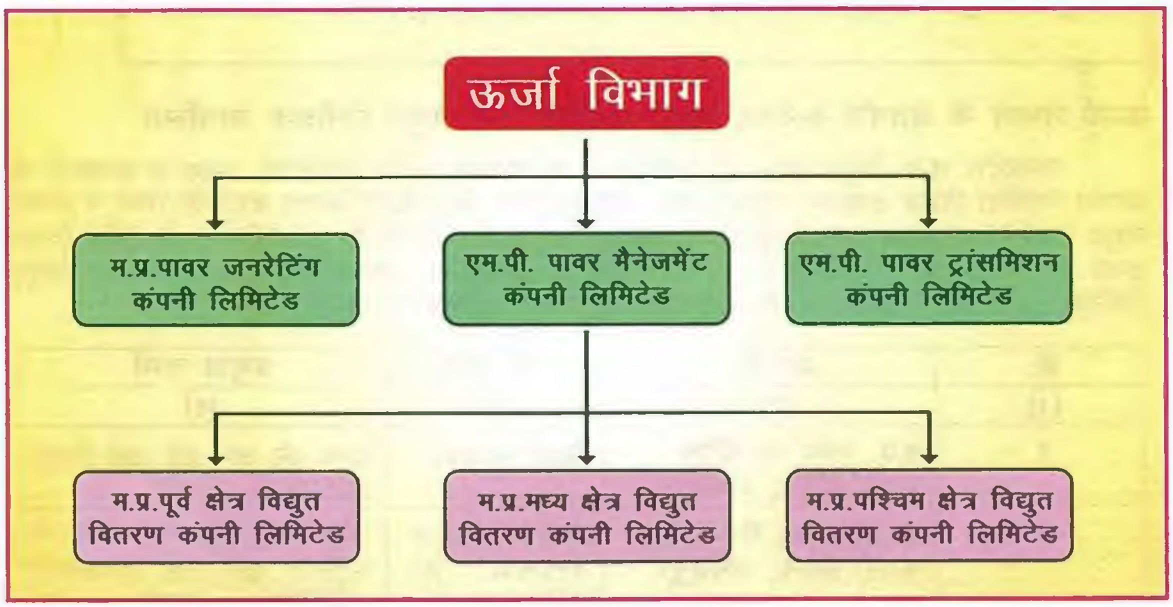

विद्युत वितरण के क्षेत्र में कार्य कर रही तीनों वितरण कम्पनियों के क्षेत्राधिकार में निम्नानुसार संभाग आते हैंः–

1. **म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यक्षेत्र– जबलपुर, रीवा, सागर तथा शहडोल संभाग।**
2. **म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यक्षेत्र – भोपाल, होशंगाबाद तथा ग्वालियर एवं चंबल संभाग।**
3. **म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यक्षेत्र – इंदौर एवं उज्जैन संभाग।**

सभी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रबंध संचालक हैं तथा अकार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की गई हैं। जनरेटिंग, ट्रांसमिशन तथा मैनेजमेंट कंपनी के अध्यक्ष प्रमुख सचिव, ऊर्जा है। तीनों विद्युत वितरण कंपनियों के लिए एम.पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी के प्रबंध संचालक को अकार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिये विद्युत अधिनियम, 2003 के

प्रावधानों के अधीन एक विधि सम्मत विनियामक संस्था **"मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग"** की स्थापना की गई है। विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अन्तर्गत यह एक विधि शक्तियों से सम्पन्न संस्था है।

2—विद्युत आपूर्ति की स्थिति तथा भविष्य का अनुमान : राज्य में विद्युत की आवश्यकता के दीर्घकालीन अनुमान लगाते हुए उसके अनुरूप विद्युत उपलब्धता सुनिश्चित करना, म.प्र. पावर मैनेजमेंट कम्पनी का प्रमुख उत्तरदायित्व है। गत वर्षों में विद्युत प्रदाय की स्थिति तथा भविष्य के लिए निर्धारित लक्ष्य नीचे दी हुई तालिका में दर्शायेनुसार हैं:—

वर्ष 2011—12 से वर्ष 2015—16 तक विद्युत की आपूर्ति (मिलियन यूनिट में)

वित्तीय वर्ष	विद्युत की आपूर्ति	प्रतिशत वृद्धि
वर्ष 2011—12	42945	10.60%
वर्ष 2012—13	47858	11.40%
वर्ष 2013—14	51976	8.60%
वर्ष 2014—15	56209	8.14%
वर्ष 2015—16 (अनुमानित)	62294	10.82%

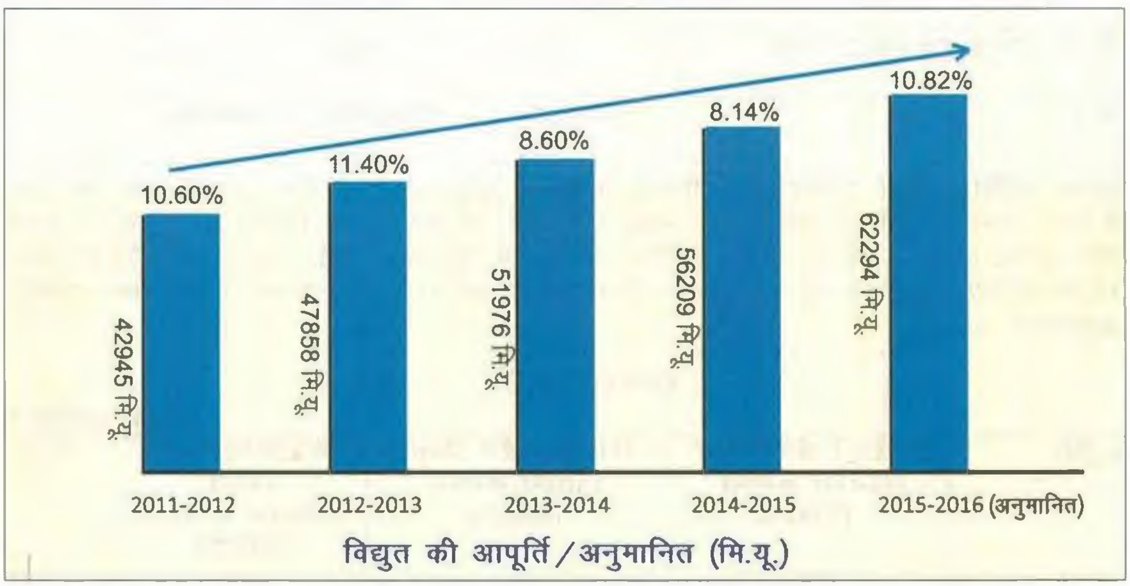

प्रदेश में पहली बार 10 हजार मेगावॉट से अधिक की आपूर्ति वर्ष 2015—16 में की गई। दिनांक 25/12/2015 को 10841 मेगावॉट अधिकतम विद्युत की आपूर्ति की गई जो प्रदेश के इतिहास में अभी तक की सर्वाधिक है। दिनांक 20/10/2015 को अभी तक की सर्वाधिक 2248 लाख यूनिट विद्युत की आपूर्ति की गई, जब कि पिछले वर्ष दिनांक 02/12/2014 को अधिकतम 2023 लाख विद्युत की आपूर्ति की गई थी।

3—राजस्व प्रबंधन :

3.1 : राज्य में विद्युत उपभोक्ताओं की स्थिति : वितरण के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों तथा गुणवत्तापूर्ण विद्युत प्रदाय के कारण प्रदेश में वितरण कंपनियों में विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं की संख्या में प्रतिवर्ष सतत् रूप से वृद्धि हुई है। विगत चार वर्षों में विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं की वर्षवार श्रेणीवार संख्या विवरण निम्न तालिका में दर्शाये अनुसार है —

श्रेणीवार उपभोक्ताओं की संख्या

क्र.	उपभोक्ता श्रेणी	उपभोक्ताओं की संख्या			
		2011—12	2012—13	2013—14	2014—15
1	घरेलू	7353305	7748857	8160350	8580244
2	गैर घरेलू	734350	758980	791087	830724
3	सड़क प्रकाश	14572	14855	15251	15592
4	पब्लिक वाटर वर्क्स	27509	29433	31173	33743
5	सिंचाई	1397008	1489449	1837924	2002916
6	निम्न दाब उद्योग	101574	104077	108895	112976
7	उच्च दाब उ़द्योग	2667	2942	3189	3513
8	रेलवे	34	36	36	36
9	गैर औद्योगिक एवं अनुज्ञप्तिधारी	1555	1687	1856	1977
	योग	**9632574**	**10150316**	**10949761**	**11581721**

3.2 राजस्व प्राप्तिः विद्युत कंपनियों के राजस्व प्राप्ति में वृद्धि करने के लिए मैदानी स्तर पर वितरण कंपनियों द्वारा राजस्व वसूली के साथ—साथ समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों को नियंत्रित करने के लिए गम्भीर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके परिणाम वर्तमान में परिलक्षित होने प्रारंभ हो गये है। वित्तीय वर्ष 2011—12 से वित्तीय वर्ष 2014—15 तक अद्यतन स्थिति में वर्षवार, कंपनीवार राजस्व प्राप्ति निम्न तालिका में दर्शाये अनुसार है —

राजस्व प्राप्ति

(राशि करोड में)

वित्तीय वर्ष	म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	कुल
2011—2012	**3837**	**3441**	**4975**	**12253**
2012—2013	**4580**	**4473**	**6230**	**15283**
2013—2014	**6260**	**5011**	**7120**	**18391**
2014—2015	**6695**	**5998**	**8219**	**20912**

विधानसभा द्वारा समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों में प्रतिवर्ष 3 प्रतिशत की दर से कमी लाने के पारित संकल्प के अनुसरण में विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा अथक प्रयासों किये गये, जिसके परिणामस्वरूप तीन वर्षों के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2014—15 में हानियों में लगभग **9** प्रतिशत से अधिक की कमी आई है।

3.3 व्यापार करने की सुगमता (Ease of doing business) : राज्य शासन ने व्यापार करने की सुगमता (Ease of doing business) के तहत् कई महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए प्रक्रिया को सुगम बनाने के उद्देश्य से उच्च दाब संयोजनों के लिये ऑनलाईन आवेदन प्राप्त कर ऑनलाईन भुगतान करने पर संयोजन प्रदान किये जाने की व्यवस्था लागू की है। उद्योगों को विद्युत संयोजन प्राप्त करने के लिये पूर्व में 14 दस्तावेज जमा करना होता था। अब इन दस्तावेजों की संख्या कम कर, दो तक सीमित की गयी है। 33 किलोवोल्ट तक के विद्युत संयोजन के लिये विद्युत निरीक्षक से चार्जिंग परमिशन की बाध्यता को हटाते हुए इस बावत् विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र देने के लिये निजी चार्टर्ड विद्युत सुरक्षा इंजीनियर को अधिकृत किया गया है। उद्योगों को दी जाने वाली विभिन्न विद्युत सेवाओं को मध्यप्रदेश लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम के तहत् लाया गया है। उपरोक्त सभी सुधारों को क्रियान्वित करने के फलस्वरूप विश्व बैंक के भारत में व्यापार करने की सुगमता संबंधी प्रतिवेदन में दर्ज किया गया है कि मध्यप्रदेश ऐसा एकमात्र राज्य है, जिसे विद्युत संयोजन के सभी 5 मानदण्डों पर पूरे अंक प्राप्त हुए है। म.प्र के समग्र मूल्यांकन में भी विद्युत संयोजन के लिए मात्र 2 दस्तावेजों की आवश्यकता और समय सीमा में संयोजन प्रदान करने के प्रावधान का विशेष उल्लेख किया गया है।

3.4 सूखे की स्थिति के कारण किसानों के बिजली बिलों के भुगतान का आस्थगन : इस वर्ष प्रदेश में सूखे की स्थिति निर्मित होने के कारण राज्य शासन ने किसानों के हितों में निर्णय लेते हुए ऐसे किसानों जिनकी 50 प्रतिशत से अधिक फसल की क्षति हुई है, उन किसानों की सूची कलेक्टर द्वारा दिये जाने पर इन किसानों के कृषि पंपों पर बिजली बिलों के भुगतान को 31 मार्च, 2016 तक आस्थगित किया गया है तथा इस अवधि के लिये इन किसानों से कोई सरचार्ज भी नहीं लिया जाएगा। इन बिलों के भुगतान के आस्थगन से वितरण कंपनियों को होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति राज्यशासन द्वारा सब्सिडी के रूप में वितरण कंपनियों को की जाएगी।

4–ऊर्जा क्षेत्र की विभिन्न योजनाएं :

4.1 किसान समृद्धि योजना : कृषि उपभोक्ताओं पर बिजली बिलों की बकाया राशि के निराकरण हेतु राज्य शासन द्वारा कृषक समृद्धि योजना लागू की गई। इस योजना के अन्तर्गत दिनांक 28 फरवरी, 2013 की स्थिति में कृषि उपभोक्ताओं पर बकाया राशि में से सरचार्ज की राशि वितरण कंपनियों द्वारा माफ की गई तथा मूल बकाया राशि का 50 प्रतिशत किसान द्वारा जमा करने पर समान राशि राज्य शासन द्वारा वितरण कंपनियों को दी जानी है। इस योजना में कृषकों को अधिकतम, 10, छः माही किश्तों में बकाया राशि जमा करने की सुविधा प्रदान की गई है।

4.2 स्थाई कृषि पंप फ्लेट रेट योजना : स्थाई कृषि पंप उपभोक्ताओं के लिए फ्लेट रेट आधारित बिलिंग योजना दिनांक 1 अप्रैल, 2013 से लागू की गई, जिसके अन्तर्गत कृषि उपभोक्ताओं को वर्ष में 2 बार (छः माही आधार पर) समान किश्तों में 1200 रूपये प्रति हार्सपावर वार्षिक बिल देने का प्रावधान किया गया है। योजना वर्ष 2015–16 में निरन्तर रखी गई है।

4.3 दीनबंधु योजना : गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को दिनांक 30 जून, 2013 की स्थिति में बकाया विद्युत बिलों के निपटारे हेतु वितरण कंपनियों द्वारा दीनबंधु योजना लागू की गई है। इस योजना अन्तर्गत बकाया बिल की सरचार्ज राशि वितरण कंपनियों द्वारा माफ की गई तथा मूल बकाया राशि का आधा संबंधित वितरण कंपनी द्वारा तथा शेष आधी राशि राज्य शासन द्वारा वहन की गई है।

4.4 कृषकों को नवीन स्थाई पंप कनेक्शन देने की अनुदान योजना : कृषकों को नवीन स्थायी पंप कनेक्शन प्रदान करने की राज्य शासन द्वारा अनुदान योजना मई,2011 से लागू की गई है। वर्ष 2015–16 में योजना अंतर्गत लघु एवं सीमांत कृषक (2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले) को रू. 6500/– प्रति हार्सपावर तथा अन्य कृषकों के लिए रू. 10400/– प्रति हार्स पावर की दर से राशि जमा करना होती है। प्राक्कलन राशि रू.1.50 लाख प्रति पंप तक सीमित है तथा कृषक द्वारा अंश के उपरान्त शेष राशि राज्य शासन द्वारा अनुदान के रूप में विद्युत वितरण कंपनियों को उपलब्ध कराई जाती है। प्राक्कलन राशि रू. 1. 50 लाख प्रति पंप से अधिक की संपूर्ण राशि कृषकों द्वारा देय है। इस वर्ष माह दिसम्बर, 2015 तक 16197 कृषकों को तथा योजना प्रारंभ होने की तिथि से माह दिसम्बर 2015 तक की स्थिति में 97634 कृषकों को स्थाई पंप कनेक्शन दिये जा चुके हैं।

4.5 अटल ज्योति अभियान – अटल ज्योति अभियान के अन्तर्गत जून, 2013 से समस्त जिलों में गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे विद्युत प्रदाय प्रारंभ कर दिया गया है। कृषि पंपों हेतु 10 घण्टें विद्युत प्रदाय किया जा रहा है।

4.6 जले/खराब ट्रांसफार्मर बदलने की एस.एम.एस आधारित योजना : जले/खराब ट्रांसफार्मरों को वरीयता क्रम/निर्धारित अवधि में बदलने हेतु एक योजना **''एस.एम.एस आधारित असफल ट्रांसफार्मर बदलना''** वर्ष 2012–2013 से लागू की गई है, जिसके अनुसार प्रत्येक ट्रांसफार्मर को यूनिक आईडी आवंटित किया गया है, जिसको डी.पी. पर पेंट से लिखा गया है। ट्रांसफार्मर फेल होने की स्थिति में कृषक/विद्युत

उपभोक्ता निर्धारित नम्बर पर उस ट्रांसफार्मर का यूनिक आईडी कोड दर्शाते हुए एसएमएस भेज सकता है। उक्त एसएमएस प्राप्त होने पर सर्वर के माध्यम से यह सूचना संबंधित अधिकारी तथा शिकायतकर्ता उपभोक्ता को भी अग्रिम रूप से प्राप्त होती है, जिसके अनुसार संबंधित अधिकारी जांच कर ट्रांसफार्मर बदलने हेतु अयोग्य अथवा योग्य पाये जाने की जानकारी सर्वर को प्रेषित करता है, जिसके आधार पर ट्रांसफार्मर बदलने की वरीयता सूची स्वतः जनरेट होती है तथा जिसे कंपनी की वेबसाईट पर देखा जा सकता है। ट्रांसफार्मर बदलने के उपरांत इसकी सूचना स्वतः उपभोक्ता को एस.एम.एस. के माध्यम से प्राप्त होनी है। इस योजना के लागू होने से खराब ट्रांसफार्मर बदलने में विलम्ब की शिकायतों में काफी कमी आई है।

4.7 स्वयं का ट्रांसफार्मर लगाने की योजना (ओ.वाय.टी.) : म.प्र. शासन द्वारा कृषकों को शीघ्र स्थाई सिंचाई पंप कनेक्शन दिये जाने के दृष्टिगत दिनांक 4 मई, 2011 से कृषकों के लिये "स्वयं का ट्रांसफार्मर " लगाये जाने की योजना लागू की गई है। इस योजना में किसान अपने व्यय से, निर्धारित मापदंड के अनुसार ट्रांसफार्मर स्थापित कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत कृषकों द्वारा लगाये गये ट्रांसफार्मर से किसी अन्य कृषकों को कनेक्शन नहीं दिये जाते हैं। योजना अंतर्गत नये किसान तथा ऐसे किसान, जिनका पूर्व में ही कनेक्शन विद्यमान है, वे भी अपने पंप कनेक्शन के लिये ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं। इस वर्ष माह दिसम्बर, 2015 तक 6820 तथा योजना प्रारंभ होने से इस वर्ष माह दिसम्बर तक कुल 30809 ट्रांसफार्मर योजना अन्तर्गत लगाये जा चुके हैं।

4.8 रबी 2015 के लिए वितरण ट्रांसफार्मरों की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना : वर्ष 2012–13 में ट्रांसफार्मर फेल होने की दर में कमी लाने की दृष्टि से राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि अस्थायी कनेक्शनों के भार को ध्यान में रखते हुए वितरण ट्रांसफार्मर की क्षमता का निर्धारण किया जाकर आवश्यकतानुसार ट्रांसफार्मर की क्षमतावृध्दि अथवा अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाए जाए। वर्ष 2015–16 में माह दिसम्बर, 2015 तक 2568 ट्रांसफार्मर्स की क्षमतावृद्धि की जाकर, 1.26 लाख केव्हीए अतिरिक्त क्षमता निर्मित की गई तथा 26814 अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाकर 13.53 लाख केव्हीए कुल क्षमतावृद्धि की गई। विद्युत वितरण कंपनीवार विवरण निम्नानुसार है –

विद्युत वितरण कंपनी	क्षमता वृद्धि किये गये ट्रांसफार्मरों की संख्या (वर्ष 15–16)	कुल क्षमता वृद्धि (केव्ही.ए)	अतिरिक्त स्थापित ट्रांसफार्मर (संख्या)	अतिरिक्त स्थापित ट्रांसफार्मर क्षमता (केव्ही.ए)	कुल क्षमता वृद्धि (केव्ही.ए)
पूर्व क्षेत्र	1049	43920	6019	198000	241920
पश्चिम क्षेत्र	1452	56883	8202	236241	293124
मध्य क्षेत्र	67	24790	12593	793359	818149
कुल –	**2568**	**125593**	**26814**	**1227600**	**1353193**

उपभोक्ताओं की बिलिंग तथा अन्य शिकायतों के निराकरण के लिए तीनों वितरण कंपनियों में विद्युत वितरण केन्द्र स्तर पर समय–समय पर "विद्युत सेवा शिविर" आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में संबंधित कार्यपालन यंत्री स्वयं उपस्थित रहते हैं। शिविरों में विद्युत बिलों, मीटर तथा मीटर रीडिंग आदि शिकायतों के निराकरण हेतु त्वरित कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त नये कनेक्शन आदि के संबंध में भी शिविरों में त्वरित कार्यवाही की जाती है।

4.9 वितरण के क्षेत्र में विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा किये गये अन्य कार्य : ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य की तीनो वितरण कम्पनियों द्वारा फीडर विभक्तिकरण योजना, नवीन पंप कनेक्शन अनुदान योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अतिरिक्त उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली के उन्नयन, प्रणाली सुदृढ़ीकरण के साथ–साथ आदिवासी उप योजना, अनुसूचित जाति उप योजना, ए.डी.बी. योजना एवं आर.–ए. पी.डी.आर.पी. इत्यादि के अन्तर्गत विद्युतीकरण अधोसंरचना के विकास के कार्य किये गये हैं।

4.9.1–प्रणाली सुदृढीकरण : विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्रणाली सुदृढीकरण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में माह दिसम्बर, 2015 के अंत तक किये गये कार्यो का कम्पनीवार विवरण नीचे दी गई तालिका में दर्शाये अनुसार है। इन कार्यों से विद्युत प्रदाय की गुणवत्ता में और वृद्धि होगी। –

क्र.	कार्य का विवरण	इकाई	विद्युत वितरण कम्पनी (31 दिसम्बर, 2015 तक)			कुल
			म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	
1	2	3	4	5	6	7
1	33/11 के.व्ही उपकेन्द्र	नं	6	20	39	65
2	33 के.व्ही. लाईन	कि.मी.	102	262	515	879
3	11 के.व्ही. लाईन	कि.मी.	2119	552	152	2823
4	निम्न दाब लाईन का केबल में परिवर्तन	कि.मी.	57	69	0	126
5	वितरण ट्रांसफार्मर	नं.	1866	550	100	2516

4.9.2 आर–ए.पी.डी.आर.पी. कार्यक्रम : केन्द्र शासन द्वारा वर्ष 2008 में 30,000 से अधिक आबादी वाले शहरों हेतु आर–एपीडीआरपी योजना लागू की गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य विद्युत अधोसंरचना के 33 के.व्ही. लाईन, 11 के.व्ही. फीडर तथा 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्रों के निर्माण, एचटी/एलटी लाईनों के निर्माण एवं वितरण सुदृढ़ीकरण द्वारा तकनीकी हानियों में कमी लाना है। योजना 2 चरणों में क्रियान्वित की जा रही है। इसमें पार्ट–ए अंतर्गत प्रदेश के 83 शहरों में सूचना प्रौद्योगिकी/कम्प्यूटर से संबंधित कार्य, बिलिंग सिस्टम का कम्प्यूटीकरण, स्काडा अंतर्गत 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्रों का केन्द्रिकृत कंट्रोल सेन्टर से संचालन एवं पार्ट–बी अंतर्गत 81 शहरों में वितरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण के कार्य किए जा रहे हैं। स्काडा के कार्य भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इन्दौर, उज्जैन 5 शहरों में संपादित किये जा रहे है।

आर–एपीडीआरपी पार्ट–ए के अंतर्गत सभी 83 शहर गो–लाईव घोषित कर दिए गए है। डाटा सेन्टर जबलपुर, डिजास्टर रिकवरी सेन्टर भोपाल का संचालन प्रारंभ हो चुका है। शेष योजनान्तर्गत कार्य प्रगति पर है। आर–पीडीआरपी पार्ट–बी परियोजना के अधिकांश कार्य लगभग अंतिम चरण में है। पार्ट–बी परियोजनान्तर्गत 81 में 70 शहरों के कार्य पूर्ण हो चुके है शेष 11 शहरों में फरवरी 2016 से दिसम्बर 2016 तक कार्य पूर्ण किया जाना संभावित है।

4.9.3 एडीबी द्वारा वित्त पोषित परियोजनाएं : इस वित्तीय वर्ष 2015–16 में माह दिसम्बर के अंत तक राज्य की तीनो विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा एडीबी वित्त पोषित परियोजनाओं के अंतर्गत विभिन्न ट्रेंचों में निम्नानुसार कार्य सम्पन्न किये गए है –

क्रमांक	विवरण	इकाई	परियोजनान्तर्गत कान्ट्रेक्ट में	उपलब्धि	प्रावधान के विरूद्ध प्रतिशत
अ	**मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड**				
(1)	**सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग स्कीम के तहत किये गये कार्य–**				
	(क) 33 के.व्ही. लाईन	सर्किट कि.मी.	1051	529	50 प्रतिशत
	(ख) 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र	संख्या	30	9	30 प्रतिशत
	(ग) 11 के.व्ही. लाईन	सर्किट कि.मी.	193	55	28 प्रतिशत
ब	**मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड**				
ट्रेंच–V					
1	वितरण ट्रांसफार्मरों की स्थापना	न.	13230	9704	73 प्रतिशत
2	33/11 के.व्ही. उपकेन्द्रों का नवीनीकरण	न.	443	443	100 प्रतिशत
ट्रेंच–VI					
1	नवीन 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र	न.	110	106	96 प्रतिशत
2	33 के.व्ही. लाइन	कि.मी.	752	731.28	97 प्रतिशत
3	11 के.व्ही. लाइन	कि.मी.	210	200.84	95 प्रतिशत

क्रमांक	विवरण	इकाई	परियोजनान्तर्गत कान्ट्रेक्ट में प्रावधान	उपलब्धि	प्रावधान के विरूद्ध प्रतिशत प्रगति
4	छोटे शहरों में विद्युत हानि कम करने का कार्य	न.	124	117	94 प्रतिशत
5	33/11 के.व्ही. उपकेन्द्रों में एमी एवं मीटर की स्थापना	न.	650	650	100 प्रतिशत
6	33/11 के.व्ही. उप केन्द्रों में एमडास का कार्य	न.	1000	544	54 प्रतिशत
ए.डी.बी.–III					
1	नवीन33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र	न.	79	46	58 प्रतिशत
2	33 के.व्ही. लाइन	कि.मी.	320	160.93	50 प्रतिशत
3	11 के.व्ही. लाइन	कि.मी.	125	11.74	9.3 प्रतिशत
4	11 के.व्ही. 1500 के.व्ही.ए.आर. ऑटोमैटिक स्वीचड केपेसिटर बैंक	न.	331	281	85 प्रतिशत
स	**मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड**				
(1)	**एचव्हीडीएस के तहत किये गये कार्य–**				
	(क)निम्न दाब लाईन से उच्च दाब लाईनों में परिवर्तन	कि.मी.	600	598	99.65 प्रतिशत
	(ख) 33 के.व्ही. लाईन	कि.मी.	–	–	–
	(ग) 11 के.व्ही. लाईन	कि.मी.	184	171	92.93 प्रतिशत
	(घ)वितरण ट्रांसफार्मरों की स्थापना	संख्या	4771	4527	94.89 प्रतिशत

4.9.4 फीडर विभक्तिकरण योजना : म.प्र.शासन द्वारा राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में कृषि उपभोक्ताओं एवं गैर कृषि उपभोक्ताओं को पृथक–पृथक स्वतंत्र फीडर के माध्यम से विद्युत प्रदाय हेतु फीडर विभक्तिकरण योजना लागू की गई है। योजना हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा राशि रू. 1722 करोड़ तथा एशियन विकास बैंक से 1944 करोड़ ऋण स्वीकृत है तथा शासन द्वारा रू. 485 करोड़ ब्याज मुक्त राशि उपलब्ध कराई गई है।

माह दिसम्बर, 2015 तक म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अन्तर्गत लगभग 99 प्रतिशत फीडर विभक्तिकृत किये जा चुके है, जिससे फीडर विभक्तिकृत किये गये क्षेत्रों में तकनीकी हानियों में कमी के साथ–साथ विद्युत प्रदाय की गुणवत्ता में सुधार तथा वोल्टेज में बढोत्तरी परिलक्षित हुई है तथा भार प्रबंधन में भी लाभ हुआ है। म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अन्तर्गत 82 प्रतिशत फीडरों के विभक्तिकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। कंपनी क्षेत्रान्तर्गत संतोषजनक प्रगति प्राप्त नही होने के कारण 9 कार्यादेश निरस्त किये गये, जिसमें से 7 नये कार्यादेश जारी कर दिये गये है तथा कार्य प्रारंभ हो गया है। शेष के लिए निविदा प्रक्रिया जारी है। म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अन्तर्गत कुछ क्षेत्रों में संतोषजनक प्रगति प्राप्त नहीं होने के कारण 14 कार्यादेश निरस्त किये गये थे जिसमें से 8 कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं तथा शेष में निविदा प्रक्रिया जारी है। इन क्षेत्रों के फीडरों के विभक्त किये जाने के कार्य दिसम्बर, 2017 तक पूर्ण किये जाने संभव हो पायेंगे। विभागीय स्तर पर कार्य की निरन्तर समीक्षा की जा रही है।

4.9.5 राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत प्रदेश के ग्रामों के विद्युतीकरण की योजना :–

10वीं एवं 11वीं पंचवर्षीय योजना में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 51 जिलों हेतु कुल रूपये 2737 करोड़ लागत की 52 योजनाओं की स्वीकृति ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड से प्राप्त हुई थी। उक्त स्वीकृत योजनाओं के अन्तर्गत प्रदेश के 847 अविद्युतीकृत ग्रामों के विद्युतीकरण, 46,519 लाख निःशुल्क बी.पी.एल. कनेक्शन प्रदान किये जाने का प्रावधान था, जिसके विरूद्ध दिनांक 31.12.2015 की स्थिति में 828 अविद्युतीकृत ग्रामों के विद्युतीकरण, 35,570 विद्युतीकरण ग्रामों के सघन विद्युतीकरण एवं 13.53 लाख सभी श्रेणी के बी.पी.एल. हितग्राहियों को बी.पी.एल. कनेक्शन प्रदान करने के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

12वीं पंचवर्षीय योजना में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत रूपये 1402 करोड़ लागत की कुल 34 योजनाओं की स्वीकृति ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड से प्राप्त हुई है तथा उक्त सभी योजनाओं के कार्य टर्न–की आधार पर कराये जाने हेतु कॉन्ट्रेक्ट अवार्ड जारी कर दिये गये हैं। उक्त स्वीकृत योजनान्तर्गत 160 अविद्युतीकृत ग्रामों के विद्युतीकरण, 30,495 ग्रामों के सघन विद्युतीकरण एवं सभी श्रेणी के बी.पी.एल. हितग्राहियों को 7.31 लाख निःशुल्क बी.पी.एल. कनेक्शन प्रदान किये जाने का प्रावधान था, जिसके विरूद्ध दिनांक 31.12.2015 की स्थिति में 57 अविद्युतीकृत ग्रामों के विद्युतीकरण, 3806 विद्युतीकरण ग्रामों के सघन विद्युतीकरण एवं 0.75 लाख सभी श्रेणी के बी.पी.एल. हितग्राहियों को बी.पी.एल. कनेक्शन प्रदान करने के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

4.9.6 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना : केन्द्र शासन द्वारा दिनांक 03.12.2014 से राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को समाहित करते हुए **दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना** आरंभ की गई है। उक्त योजना के अन्तर्गत रूपये 2865 करोड़ लागत की प्रदेश के 51 जिलों के लिये कुल 50 योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हुई है। योजना अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण, फीडर विभक्तिकरण तथा उपपारेषण अद्योसंरचना के प्रणाली सुदृढ़ीकरण के कार्य शामिल हैं। उक्त योजना के अन्तर्गत कार्य टर्न–की आधार पर कराये जाने हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड/केन्द्र सरकार द्वारा "बिड डाक्यूमेंट" को अंतिम रूप देने हेतु कार्यवाही की जा रही है। तदोपरान्त निविदा जारी कर उक्त योजनाओं के कार्य टर्न–की आधार पर कराये जायेंगे।

4.9.7 आई.पी.डी.एस. योजना : केन्द्र शासन की महत्वाकांक्षी योजना एन्टीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम (आई.पी.डी.एस.) के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों के लिये लागू की गई है। योजनान्तर्गत प्रणाली सुदृढ़ीकरण, मीटरीकरण एवं सूचना प्रौद्योगिकी के कार्यों हेतु कुल रू. 1501.26 करोड़ की 43 डी.पी.आर. पावर फायनेंस कारपोरेशन द्वारा स्वीकृत की गई है। परियोजना संबंधित कार्यवाही प्रगति पर है।

5. म.प्र.पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की इकाईयों से विद्युत उत्पादन :–

म.प्र.पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा वर्ष 2015–16 में माह दिसम्बर 2015 तक ताप विद्युत उत्पादन संयंत्रों से 13657.8 मि.ई. तथा जल विद्युत उत्पादन संयंत्रों से 1462.2 मि.ई. का उत्पादन किया है।

6. संयंत्र उपयोगिता घटक :–

विगत पांच वर्षो तथा इस वित्तीय वर्ष 2015–16 में दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक म.प्र.पा.जनरेटिंग कंपनी लिमि. के ताप विद्युत गृहों का संयंत्र उपयोगिता घटक निम्नानुसार है :–

वर्ष	संयंत्र उपयोगिता घटक प्रतिशत में
2011–12	61.38 प्रतिशत
2012–13	66.47 प्रतिशत
2013–14	59.97 प्रतिशत
2014–15	49.55 प्रतिशत
2015–16 (31 दिसंबर 2015 तक)	47.90 प्रतिशत

विशेष उपलब्धि:–

वर्ष 2015–16 में (दिसम्बर 2015 तक) म.प्र.पा.जनरेटिंग कंपनी लिमि. की ताप विद्युत इकाईयों की विशिष्ट तेल खपत, 0.95 मिली./इकाई है जो मप्रपाजकंलि. के इतिहास में समान अवधि हेतु विशिष्ट तेल खपत में न्यूनतम है।

म.प्र.पा.ज.कं.लि. के ताप एवं जल विद्युत गृहों की स्थापित क्षमता का विवरण संलग्न प्रपत्र–3 में दर्शाया गया है।

7. राज्य की निर्माणाधीन/प्रस्तावित ताप विद्युत परियोजनाओं की जानकारी :–

7.1 सतपुड़ा ताप विद्युत गृह (2X250 मेगावाट) विस्तार इकाई क्र0 10 एवं 11 में परियोजना से संबंधित कार्यों का विवरण :–

- इकाई क्रं. 10 एवं 11 में क्रमशः दिनांक 18 अगस्त 2013 एवं 16 मार्च 2014 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया जा चुका है एवं इन इकाईयों के शेष बचे हुए कार्यों का निष्पादन प्रगति पर है।
- इकाई क्रमांक 10 में टरबाइन,जनरेटर एवं बॉयलर के पी0जी0 टेस्ट पूर्ण किये जा चुके हैं।

- 400 के.व्ही. के स्वीचयार्ड में बे नंबर 4 का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
- परियोजना की स्वीकृत लागत रु. 3514 करोड़ में से (दिसंबर 2015 तक) कुल रु. 3109.93 करोड़ व्यय किया जा चुका है, जो कि परियोजना लागत का 89% के लगभग है।

7.2 श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना (2X600 मेगावाट– प्रथम चरण) ग्राम – डोंगलिया जिला खंडवाः–

वित्त प्रबंधन :–

परियोजना लागत	:–	रूपये 7820 करोड़
पी.एफ.सी.द्वारा स्वीकृत ऋण	:–	रूपये 6238 करोड़
अंशपूंजी	:–	रूपये 1521.20 करोड़
असंबद्ध	:–	रूपये 60.80 करोड़
कुल व्यय (दिसंबर, 2015 तक)	:–	रूपये 7345.29 करोड़ (94%)

वर्ष 2015–16 में परियोजना से संबंधित कार्यो का विवरण :–

- इकाई क्रमांक 1 एवं 2 में क्रमशः दिनांक 01 फरवरी 2014 से एवं 28 दिसंबर 2014 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया जा चुका है।
- इकाई क्रमांक 1 एवं 2 के शेष कार्यो का निष्पादन प्रगति पर है।

कोल परिवहन रेल पथ कार्यो को निम्नलिखित दो भागों में निष्पादन किया जा रहा हैः–

(अ) बीड़ स्टेशन से इन–प्लांट (विघुत गृह के अंदर)

(ब) बीड़ स्टेशन से सुरगांव बंजारी स्टेशन तक

- बीड़ स्टेशन से इन–प्लांट तक रेल पथ का निर्माण पूर्ण कर (सिग्नलिंग एवं टेली कम्यूनीकेशन को छोड़कर) कोयला परिवहन प्रारंभ कर दिया गया है । सिंग्नलिंग एवं टेली कम्यूनीकेशन कार्य प्रगति पर है ।
- बीड स्टेशन से सुरगांव बंजारी स्टेशन तक रेल पथ का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। प्रमुख मुख्य अभियंता, पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर एवं मुख्य रेलवे सुरक्षा आयुक्त, मुंबई के रेल पथ परीक्षण उपरांत इस सेक्शन से कोयला परिवहन प्रारंभ कर दिया जावेगा।

परियोजना का लोकार्पण – दिनांक 5 मार्च 2015 को माननीय प्रधानमंत्रीजी के करकमलों द्वारा सम्पन्न हुआ।

7.3 श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना (2X660 मेगावाट) द्वितीय चरण (इकाई क्रमांक 3 एवं 4) ग्राम–डोंगलिया जिला खंडवा :–

वर्तमान में संचालित श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना प्रथम चरण (2X600 मेगावाट), ग्राम डोंगलिया के परिसर में पॉवर जनरेटिंग कपंनी द्वारा परियोजना के द्वितीय चरण का कार्य आरंभ किया गया है, जिसके तहत सुपर क्रिटीकल तकनीक पर आधारित 660 मेगावाट क्षमता की दो नई विस्तार इकाईयाँ क्रमांक 3 एवं 4 की स्थापना की जा रही हैं। ईपीसी आधार पर इस परियोजना की स्थापना के कार्य हेतु पाँच आशय पत्र मेसर्स एल एंड टी को सितंबर 2014 में दिये गये, तत्पश्चात प्रत्येक आशय पत्र के विरुद्ध पाँच संविदा अनुबंध नंवबर/दिसंबर 2014 में हस्ताक्षरित किये गये। द्वितीय अनुबंध के तहत मेसर्स एल एंड टी को दिनांक 31 दिसंबर 2014 को रु0 274.39 करोड़ का अग्रिम भुगतान राज्य शासन से प्राप्त अंशपूँजी से किया गया एवं यह तिथि अनुबंध की प्रभावी तिथि कहलाई गई। इसी तिथि से मेसर्स एल एंड टी द्वारा इस

सिंगाजी ताप विद्युत गृह, खण्डवा

परियोजना पर विधिवत रूप से कार्य आंरभ किया गया। परियोजना से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारी निम्नानुसार हैः–

परियोजना लागत, वित्त पोषण तथा व्ययः–

(राशि करोड़ रूपये में)

अनुमानित परियोजना लागत	6500
राज्य शासन से अंशपूँजी	1300 (परियोजना लागत का 20%)
प्रस्तावित ऋण	5200 (परियोजना लागत का 80%)
पी0एफ0सी0 से स्वीकृत ऋण	4862
अन टाइड अप राशि	338
दिसंबर 2015 तक कुल व्यय	722.40

परियोजना परामर्शदाताः–

मेसर्स लाह्मेयर, गुड़गाँव को अगस्त 2011 में परियोजना परामर्शदाता नियुक्त किया गया।

निर्धारित कमीशनिंग लक्ष्यः– अनुबंध की प्रभावी तिथि –दिनांक 31–12–2014

माइलस्टोन	निर्धारित समय–सीमा	
	इकाई क्रमांक–3	इकाई क्रमांक–4
इकाई का सिंक्रोनाइजेशन	मार्च 2018	जुलाई 2018
कमीशनिंग (ट्रॉयल ऑपरेशन का पूर्ण होना)	जून 2018	अक्टूबर 2018
कमीशनिंग ऑफ फेसिलिटी (वाणिज्यक उत्पादन की घोषणा सहित)	सितंबर 2018	नवंबर 2018
कम्पलीशन ऑफ पी जी टेस्ट	सितंबर 2018	जनवरी 2019

कोल लिंकेज/ब्लाक आवंटन :–

श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना के द्वितीय चरण (2X660 मेगावाट) एवं सारणी विस्तार इकाई (1X660 मेगावाट) हेतु गोंदबहेरा उझेनी कोल ब्लाक का आवंटन किया गया है, जिसके एक्सप्लोरेशन का कार्य मेसर्स सी.एम.पी.डी.आई. रांची द्वारा किया गया है। मेसर्स सी.एम.पी.डी.आई. रांची द्वारा रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। मेसर्स सी.एम.पी.डी.आई. को माईन प्लान एवं विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने हेतु सलाहकार नियुक्त किया गया है। कोल ब्लॉक हेतु कोयला मंत्रालय, भारत सरकार से माह अक्टूबर 2015 में अनुबंध निष्पादित किया जा चुका है। कोयला खनन दोनो विधि ओपन कास्ट एवं अंडरग्राउंड द्वारा संभावित है।

परियोजना की भौतिक प्रगतिः–

परियोजना कार्य स्थल पर मेसर्स एल एंड टी द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के सिविल कार्य जैसे– बॉयलर, टरबाईन जनरेटर, पॉवर हाउस बिल्डिंग, ईएसपी, चिमनी,कूलिंग टॉवर्स इत्यादि संयंत्रों के फाउण्डेशन के कार्य पूर्ण किये जा चुकें हैं। अन्य क्षेत्रों जैसे– कूलिंग वाटर पंप हाऊस, ट्रेक हॉपर, प्राइमरी एवं सेकण्डरी क्रशर हाऊस, एश हैंडलिंग प्लांट इत्यादि शेष संयंत्रों के सिविल कार्य प्रारंभिक अवस्था में हैं। बॉयलर संयंत्र के प्राइमरी स्ट्रक्चर की आपूर्ति 29 मार्च 2015 से आरंभ हुई एवं तदनंतर 18 जून 2015 से इकाई क्रमांक–3 के बॉयलर संयंत्र के इरेक्शन का कार्य आरंभ हुआ। दिसंबर 2015 तक इकाई क्र0 3 एवं 4 के बॉयलर संयंत्रों में कुल 34,000 मीट्रिक टन लक्ष्य के विरूद्ध क्रमशः 6,663 मीट्रिक टन एवं 2,408 मीट्रिक टन इरेक्शन कार्य पूर्ण किया जा चुका है। चिमनी शेल की कास्टिंग का कार्य 16 सितंबर 2015 से आरंभ किया गया और कुल ऊँचाई 275 मीटर के विरूद्ध अभी तक लगभग 100 मीटर ऊँचाई तक कास्टिंग की जा चुकी हैं। पॉवर

हाऊस बिल्डिंग के स्टील स्ट्रक्चर का इरेक्शन 15 सितंबर 2015 से आरंभ हुआ एवं कुल लक्ष्य 10,658 मीट्रिक टन के विरूद्ध अभी तक 1,561 मीट्रिक टन इरेक्शन किया जा चुका है।

परियोजना की भौतिक प्रगति निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप चल रही है। मेसर्स लाह्मेयर एवं कंपनी के संबद्ध विभागों द्वारा डिजाइन एवं इंजीनियरिंग कार्यों एवं दस्तावेजों की विवेचना उपरांत स्वीकृति दी जा रही हैं। परियोजना हेतु आपूर्ति किये जाने वाले उपकरणों एवं सामान की गुणवत्ता विभिन्न स्तरों पर जाँची जा रही हैं।

कुछेक कार्य जैसे– कालोनी क्वाटर्स का निर्माण, परियोजना के सामग्री हेतु थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन आदि के लिये पृथकतः कार्यादेश दिये जाने हैं एवं इस हेतु गतिविधियाँ जारी हैं।

परियोजना की प्रमुख उपलब्धियाँ :–

- ❖ इकाई क्रं. 3 एवं 4 के बॉयलर, ई0एस0पी0 एवं टी0जी0 बिल्डिंग के कॉलम इरेक्शन के कार्य निर्धारित समयावधि के पूर्व प्रारंभ किये गये।
- ❖ इकाई क्रं0 3 के बॉयलर कॉलम का इरेक्शन कार्य शून्य तिथि (Zero date) से 180 दिवस में प्रारंभ होना निर्धारित था जिसे 168 दिवस में प्रारंभ कर रिकार्ड कायम किया गया।
- ❖ इकाई क्रं0 4 के बॉयलर में 902 टन स्ट्रक्चर इरेक्शन एक दिवस (2 नवंबर 2015) में किया गया जो कि एक रिकार्ड है।
- ❖ 275 मीटर ऊँचाई की चिमनी के लिये राफ्ट का निर्माण 77 दिवस में निर्धारित था, जो कि रिकार्ड 54 दिवस में पूर्ण किया गया। चिमनी का निर्माण 100 मीटर तक निर्धारित समय से पूर्व पूर्ण कर लिया गया है।
- ❖ इस वित्तीय वर्ष के तृतीय त्रैमास में निर्धारित वित्तीय लक्ष्य रु0 150 करोड़ के विरूद्ध वास्तविक उपलब्धि लगभग रू 179 करोड़ प्राप्त की गई।

8. प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनायें :–

1. कन्हान जल विद्युत परियोजना, (2X45 मे.वा.), जिला छिन्दवाड़ा
2. चंबल विकास योजना, चरण –दो जल विद्युत परियोजनायें (270 मे.वा.), जिला मुरैना (म.प्र) धौलपुर (राजस्थान)

उक्त प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं हेतु सर्वेक्षण, अन्वेषण, विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करने तथा विभिन्न स्वीकृतियों प्राप्त करने संबंधी कार्य प्रगति पर है एवं तकनीकी आर्थिक रुप से साध्य पाये जाने तथा विभिन्न स्वीकृतियों प्राप्त होने पर इन परियोजनाओं की स्थापना के संबंध में आगामी कार्यवाही की जावेगी ।

9. राज्य में पारेषण संबंधी कार्य –

राज्य में पारेषण के कार्यो का दायित्व **म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड** का है। म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड की प्रमुख उपलब्धियां निम्नानुसार है–

9.1 अति उच्चदाब पारेषण लाइनें एवं उपकेन्द्र :– वर्ष 2015–16 में राज्य में पारेषण कार्यों हेतु रू. 918.47 करोड़ का योजना परिव्यय स्वीकृत किया गया एवं 981 सक्रिट कि.मी. पारेषण लाइनों का निर्माण तथा अतिउच्चदाब उपकेंद्रों की 3877 एम.व्ही.ए. की क्षमता वृद्धि करने का संशोधित कार्यक्रम निर्धारित किया गया। जिसके विरूद्ध माह नवम्बर, 2015 तक योजना मद में रू. 130.59 करोड़ तथा अन्य स्त्रोतों से रू. 458. 94 करोड़ कुल रू. 589.53 करोड़ का व्यय कर माह दिसंबर 2015 तक 889 सक्रिट कि.मी. पारेषण लाइनों का निर्माण कार्य तथा अति उच्चदाब उपकेंद्रों में 3224.5 एम.व्ही.ए. की क्षमता वृद्धि की गई। इस प्रकार माह दिसंबर 2015 तक पारेषण लाईन लगभग 31084 सक्रिट कि.मी. तथा अति उच्चदाब उपकेंद्रों की क्षमता 48681 एम.व्ही.ए. हो गई है। पारेषण व्यवस्था में सुधार के फलस्वरूप वर्तमान में पारेषण हानियां का स्तर मात्र 2.82 प्रतिशत है, जो कि देश में न्यूनतम स्तर पर है।

9.2 पारेषण लाइनों व उपकेन्द्रों की उपलब्धियाँ :– वित्तीय वर्ष 2015–16 में माह दिसंबर 2015 तक पारेषण लाइनों व उपकेंद्रों की उपलब्धियॉं तथा प्रगामी उपलब्धियों निम्नानुसार हैं–

क्र.	विवरण	इकाई	2014–15 में उपलब्धि	वर्ष 2015–16 में माह दिसंबर तक उपलब्धि	वर्ष 2015–16 माह दिसंबर के अंत तक प्रगामी उपलब्धि
अ.	**पारेषण लाइन**				
1	400 के.व्ही.	सक्रिट कि.मी.	227.39	0	3074.45
2	220 के.व्ही.	सक्रिट कि.मी.	332.73	209.76	12010.84
3	132 के.व्ही.	सक्रिट कि.मी.	625.09	689.30	15937.75
4	66 के.व्ही.	सक्रिट कि.मी.	—	—	61.00
	योग (अ)	**सक्रिट कि.मी.**	**1185.21**	**899.06**	**31084.04**

क्र.	विवरण	इकाई	2014–15 में उपलब्धि	वर्ष 2015–16 में माह दिसंबर तक उपलब्धि	वर्ष 2015–16 माह दिसंबर के अंत तक प्रगामी उपलब्धि
ब.	**अति उच्चदाब उपकेंद्र**				
1	400 के.व्ही.	एम.व्ही.ए.	945	630	7350
2	220 के.व्ही.	एम.व्ही.ए.	1760	1160	19630
3	132 के.व्ही.	एम.व्ही.ए.	1589	1434.50	21681
4	66 के.व्ही.	एम.व्ही.ए.	—	—	20
	योग (ब)	**एम.व्ही.ए.**	**4294**	**3224.50**	**48681**

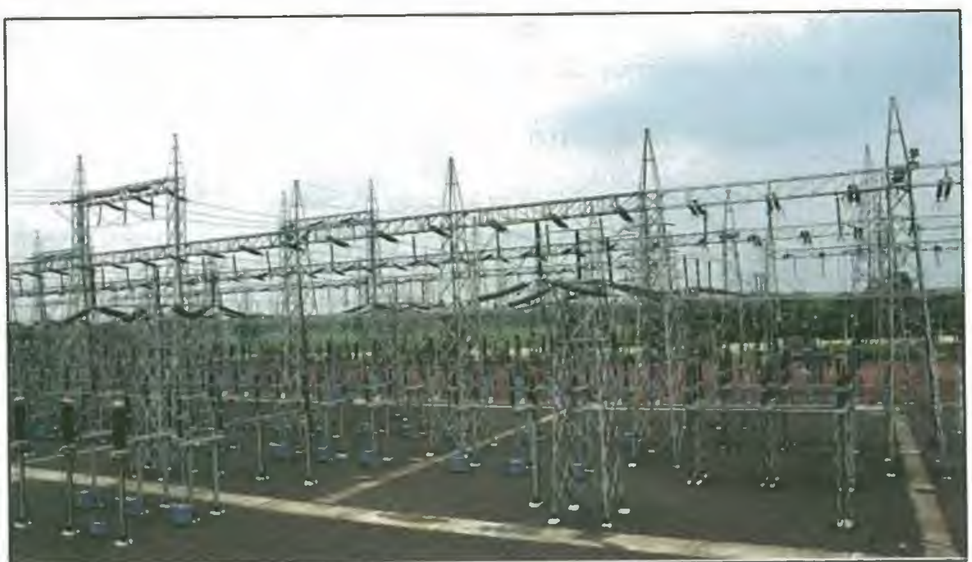

400 के.व्ही. उपकेन्द्र, बीना

9.3 भविष्य में पारेषण विस्तार योजना हेतु कार्यक्रम (12वीं पंचवर्षीय योजना, वर्ष 2012–17) :

आगामी पारेषण आवश्यकताओं का आंकलन क्रिटिकल लोड फ्लो एवं विद्युत प्रणाली के अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित मापदंडो को ध्यान में रखकर किया गया है :–

- उत्पादन क्षमता वृद्धि का कार्यक्रम (एमपीजेनको एवं आईपीपी के द्वारा)।
- राज्य में वर्गवार विद्युत भार में वृद्धि।
- विद्युत वितरण कंपनी द्वारा सूचित की गई नई औद्योगिक इकाईयों की अपेक्षित आवश्यकता एवं वर्तमान इकाईयों की अतिरिक्त आवश्यकता तथा नवीन एवं नवकरणीय विद्युत परियोजनाओं की आवश्यकता।
- पीजीसीआईएल प्रणाली से अंर्तसंपक्र (interconnection) के कारण अपेक्षित वृद्धि।

मध्यप्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित 12वीं पंचवर्षीय ट्रांसमिशन योजना अंतर्गत कार्य

क्र.	योजना	वर्षवार योजना					कुल कार्य (बारहवी योजना)
		2012—13	2013—14	2014—15	2015—16	2016—17	
अ.	ईएचवी लाईन (सर्क्रिट कि.मी.)						
1	400 के.व्ही.लाईन	790	490	90	1100	370	2840
2	220 के.व्ही.लाईन	436	412.1	243	468	650	2209.1
3	132 के.व्ही.लाईन	876.2	1515	1803	566	858	5618.2
	कुल (सर्क्रिट कि.मी.)	2102.2	2417.1	2136	2134	1878	10667.3
ब.	ईएचवी उपकेन्द्र (एमवीए)						
1	400 के.व्ही. उपकेन्द्र	1575	1260	945	2205	0	5985
2	220 के.व्ही. उपकेन्द्र	1120	1600	2720	1280	960	7680
3	132 के.व्ही. उपकेन्द्र	649	1717	2152	723	792	6033
	कुल एमवीए	3344	4577	5817	4208	1752	19698
स.	ईएचवी उपकेन्द्र (नम्बर)						
1	400 के.व्ही. उपकेन्द्र	4	0	2	4	0	10
2	220 के.व्ही. उपकेन्द्र	1	6	4	6	0	17
3	132 के.व्ही. उपकेन्द्र	9	22	32	1	3	67
	कुल (न.)	14	28	38	11	3	94

वित्तीय वर्ष 2015—16 में माह दिसंबर 2015 तक स्वीकृत ऋण में से एडीबी से रू. 44.112, करोड़, जायका से रू. 98.81 करोड़ 400 के.व्ही., 220 के.व्ही, 132 के.व्ही उपकेन्द्रों एवं पारेषण लाईनो के साथ—साथ विभिन्न पारेषण कार्यो के लिए प्राप्त की गई।

9.4 कम्पनी में प्रणाली के समग्र उन्नयन के लिये नवीन तकनीकी ग्राह्यता :

❖ **मध्यप्रदेश के अति उच्चदाब उपकेंद्रों पर स्काडा (SCADA) सिस्टम का क्रियान्वयन**— विद्युत मांग में असाधारण वृद्धि, विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र की सहभागिता एवं खुली पहुंच (Open Access) प्रणाली के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश में पारेषण संरचना का द्रुत गति से विस्तार हो रहा है जिसके फलस्वरूप, प्रदेश की पारेषण संरचना अत्यधिक जटिल हो गई है एवं भार प्रबंधन का कार्य कठिन होता जा रहा है। मध्य प्रदेश की पारेषण संरचना में हुए विस्तार के कारण, प्रणाली का स्वचलित रूप से ऑन लाईन मॉनिटरिंग एवं जटिल पारेषण संरचना का नियंत्रण अत्यन्त आवश्यक हो गया है। साथ ही प्रदेश के लगभग 68 प्रतिशत अतिउच्चदाब उपकेन्द्रों को निजी क्षेत्रों द्वारा संचालित किये जाने के कारण राज्य पारेषण प्रणाली के संचालन एवं संधारण हेतु उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए भी एक पृथक स्वचलित नियंत्रण प्रणाली का होना आवश्यक है। इस योजना के अंतर्गत जबलपुर, भोपाल एवं इन्दौर में ट्रांसमिशन स्काडा नियंत्रण केन्द्रों की स्थापना

की जा चुकी है। साथ ही अधिकांश अतिउच्चदाब उपकेन्द्रों को स्काडा नियंत्रण केन्द्रों से संबद्ध किया जा चुका है। शेष अतिउच्चदाब उपकेन्द्रों में कार्य इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण हो जायेंगे। स्काडा प्रणाली के क्रियान्वयन से कंपनी की पारेषण संरचना का नियंत्रण निश्चित रूप से सुदृढ होगा। स्काडा प्रणाली की स्थापना से प्रदेश की पारेषण व्यवस्था का सुचारू एवं प्रभावी ढंग से निगरानी तथा नियंत्रण करना संभव हो सकेगा। उपरोक्त योजना के क्रियान्वित होने पर मध्यप्रदेश राज्य की ट्रांसमिशन प्रणाली में स्काडा की स्थापना कर पारेषण प्रणाली का नियंत्रण, संचालन एवं ऑन लाईन मॉनिटरिंग करने वाला देश में प्रथम राज्य हो गया है।

स्काडा कन्ट्रोल रूम, जबलपुर

- **ऑटोमेटिक डिमांड मैनेजमेंट प्रणाली (ADMS) योजना का क्रियान्वय**– केंन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग, रेग्यूलेशन–2010 (बिन्दु क्रमांक 5.4.2 (d)) के अंतर्गत राज्य भार प्रेषण केन्द्र को पारेषण प्रणाली में ओवर ड्रावल को रोकने हेतु कंपनी द्वारा स्टेट ऑफ आर्ट डिमांड मैनेजमेंट योजना के तहत ऑटोमेटिक डिमांड मैनेजमेंट प्रणाली (ADMS) के क्रियान्वन हेतु निर्णय लिया गया है। ऑटोमेटिक डिमांड मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत मध्यप्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों की विद्युत मांग का नियंत्रण ट्रांसमिशन स्काडा प्रणाली के सहयोग से मध्यप्रदेश में स्थापित विभिन्न अतिउच्चदाब उपकेन्द्रों (आने वाले उपकेन्द्रों सहित) से निर्गमित 33 के.व्ही संभरको को क्रमानुसार चालू/बन्द (On/Off) कर नियंत्रित किया जा रहा है। वर्तमान मे लगभग 60 प्रतिशत अतिउच्चदाब उपकेन्द्रों में यह प्रणाली कार्य कर रही है एवं शेष अतिउच्चदाब उपकेन्द्रों में जनवरी 2015 के अन्त तक कार्य करना प्रारंभ कर देगी।

- **इंसुलेटेड एलीवेटेड वर्क प्लेटफार्म सिस्टम फॉर वर्किंग ऑन लाइव लाईन**–कंपनी द्वारा नवीनतम तकनीक का प्रयोग करते हुये एक नग इंसुलेटेड एलीवेटेड वर्क प्लेटफार्म सिस्टम फॉर वर्किंग ऑन लाइव लाईन का क्रय किया गया है। उक्त सिस्टम की यह विशेषता है कि इस पर 38 मीटर की ऊंचाई एवं 15 मीटर की साईड रीच (पहुंच) तक चालू विद्युत लाईन में 400 केव्ही वोल्टेज तक ऑनलाईन कार्य उपकेंद्र या लाईन में किया जा सकता है। इस सिस्टम में फाइबर ऑप्टिक कण्ट्रोल सिस्टम, जो कि आवश्यक सहायक उपकरणों से युक्त है, का प्रयोग किया गया है एवं कार्य करने वाले व्यक्ति की सुरक्षा के लिये आई.ई.सी. 60895 के अनुरूप निर्मित कंडक्टिव सूट एवं ट्रक माउण्टेड बकेट ट्रॉली का प्रयोग किया गया है। इस सिस्टम के प्रदाय में एक नग स्केफोल्डिंग सिस्टम शामिल है जो कि उपकेंद्र के चालू उपकरणों, बे, बस इत्यादि पर संधारण एवं अन्य कार्य करने के लिये उपयुक्त होगा।

❖ **ओपन एक्सेस** – कंपनी द्वारा विद्युत अधिनियम–2003 की अवधारणा के अनुरूप खुली पहुंच (ओपन एक्सेस) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर उच्च प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जाती है। शीर्ष विद्युत मांग के अनुरूप कंपनी की पारेषण क्षमता में लगातार वृद्धि की जा रही है। जिसके फलस्वरूप सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में खुली पहुंच की सुविधा सहज एवं निर्बाध रूप से उपलब्ध है। कंपनी द्वारा वर्ष 2014–15 में 24 आवेदनों पर लगभग 40.07 मेगावॉट पारेषण हेतु दीर्घकालीन खुली पहुंच (LTOA) की अनुमति प्रदान की गई है। मध्यप्रदेश में खुली पहुंच विनियम के क्रियान्वयन होने की दिनांक से 31/12/2015 तक की अवधि तक 121 आवेदनों पर लगभग 193.45 मेगावॉट पारेषण हेतु दीर्घकालीन खुली पहुंच की अनुमति प्रदान की जा चुकी है।

❖ **इमरजेंसी रेस्टोरेशन सिस्टम (ERS)** – पारेषण लाइन के टॉवर के आंधी/तूफान अथवा किसी अन्य कारण से धराशाई/क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में कंपनी द्वारा क्षतिग्रस्त टावर के स्थान पर नये टावर लगाने का कार्य किया जाता है। टावरों के धराशाई/क्षतिग्रस्त होने से लेकर नये टावर स्थापित करने के बीच के समय में लाईन में विद्युत प्रवाह बाधित होता है। डिजास्टर मैनेजमेंट हेतु इमरजेंसी रेस्टोरेशन सिस्टम अति उपयोगी प्रणाली है, जिसका उपयोग टावर के धराशाई होने की स्थिति में सभी प्रकार की भूमि में उपयोगी है एवं अत्यंत कम समय में विद्युत प्रणाली को सामान्य किया जाता है। कंपनी द्वारा ट्रांसमिशन लाईनों की उपलब्धता में वृद्धि के दृष्टिगत एक नग इमरजेंसी रेस्टोरेशन सिस्टम (ERS) वर्ष 2014 में क्रय किया गया है, जिसके उपयोग से लाईन का शीघ्र रेस्टोरेशन कर क्षतिग्रस्त टावरों की पुर्नस्थापना का कार्य त्वरित गति से संपन्न किया जाता है। उक्त ERS में पुनः उपयोग होने वाली विभिन्न सामग्रियों जैसे कि एल्यूमिनियम रेस्टोरेशन स्ट्रक्चर, ऐंकर्स, हार्डवेयर, इंसुलेटर्स इत्यादि का समावेश है। उल्लेखनीय है कि ERS का उपरोक्त कार्यों में सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है। वर्ष 2015–16 में ERS का सफल उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया गया है :–

1. 132 केव्ही छिंदवाडा–बिछुआ लाईन के 4 नग क्षतिग्रस्त टावरों के स्थान पर 4 नग ईआरएस टावरों को लगाकर अत्यंत अल्प समय में लाईन को ऊर्जीकृत किया गया है।
2. 220 केव्ही मानलपुर–औरेया लाईन के क्षतिग्रस्त टावरों के स्थान पर ईआरएस टावर लगाकर अस्थाई लाईन को अत्यंत अल्प समय में ऊर्जाकृत किया गया।
3. 220 केव्ही बडोद–कोटा लाईन को 220 केव्ही भानपुरा उपकेन्द्र में लिलो करने हेतु ईआरएस का उपयोग किया गया।
4. 132 केव्ही होशंगाबाद–मण्डीदीप एंव 132 केव्ही होशंगाबाद–शाहगंज/खतपुरा लाईन पर 01 नग ईआरएस टावर की सहायता से लाईनों का विस्थापन/मार्ग परिवर्तन किया जा रहा है।

उपरोक्त उल्लेखित ईआरएस की वृहद् उपयोगिता के दृष्टिगत उपरोक्त के अतिरिक्त 02 नग ईआरएस का क्रय करने हेतु आदेश जारी किया जा चुका है। इन 02 नग ईआरएस की सप्लाई फर्म द्वारा शीघ्र की जानी है।

❖ **हाई वोल्टेज इंसुलेटर टेस्टिंग किट**– डिस्क इंसुलेटर की स्वस्थता जांच करने के लिए हाई वोल्टेज डिस्क इंसुलेशन टेस्टिंग किट क्रय की गई है, इस हाई वोल्टेज इंसुलेटर टेस्ट किट से 400/220/132 केव्ही लाईनों एवं उपकेन्द्र में लगने वाली (70 के.एन., 90 के.एन., 120 के.एन. एवं 160 के.एन.) डिस्क की विद्युत प्रतिरोधक क्षमता का परीक्षण सफलतापूर्वक किया जा रहा हैं एवं उक्त कार्य में यह मशीन बहुत उपयोगी साबित हुई है। वर्ष 2015–16 में 15 नग हाई वोल्टेज इंसुलेटर टेस्ट किट क्रय की गई है एवं इनको टी.एल.एम. उप संभागों में स्थापित किया जा रहा है।

❖ **इंदौर हेतु बहु परिपथ (मल्टी सर्किट) टॉवर**–वर्तमान में पारेषण क्षेत्र में मार्गाधिकार (राईट ऑफ वे) एक प्रमुख चुनौती है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा शहरी क्षेत्र/मार्गाधिकार की समस्या वाले सघन क्षेत्रों में, उच्च सघन पारेषण परिपथ के विकास हेतु जोर दिया जा रहा है। सघन आबादी वाले क्षेत्रों में अधिकाधिक मार्गाधिकार सुनिश्चित करने के लिए टॉवर के आधार क्षेत्र को कम करने हेतु, ठोस सकरे आधार वाले टॉवर या बहुपरिपथ मोनोपोल टॉवर का उपयोग किया जाना है। इंदौर शहर में बढ़ती हुई विद्युत मांग की आपूर्ति के लिए 132 के.व्ही. जैतपुरा (इंदौर–2) से नार्थ जोन इंदौर की डीसीडीएस लाईन के स्थान पर संयुक्त बहुपरिपथ लाईन का निर्माण किया जा रहा है। जिसमें 220 के.व्ही. के दो परिपथ एवं 132 के.व्ही. के दो परिपथों का समावेश किया जाएगा। उक्त कार्य प्रगति पर है।

9.5 अंगीकृत प्रौद्योगिकी :

❖ **क्रॉसिंग टॉवर** – पारेषण क्षेत्र में दो अति उच्च दाब पारेषण लाइनों की क्रॉसिंग में जटिल समस्या आती है। इस हेतु कंपनी ने एक 220 के.व्ही. बहु परिपथ (मल्टी सक्रिट) डेड एन्ड टाइप क्रॉसिंग टॉवर डिजाइन कराया है। इस टावर का सफल परीक्षण किया जा चुका है।

❖ **डी.सी. अर्थ फाल्ट लोकेटर (दिष्टधारा भूरिसाव निर्धारक)** – अति उच्चदाब उपकेन्द्रों में त्रृटि युक्त दिष्टधारा परिपथों का पता लगाने के लिये कंपनी ऐसे दिष्टधारा भूरिसाव निर्धारकों (डी. सी. अर्थ फाल्ट लोकेटर) को खरीदने की प्रक्रिया में है जो कम से कम समय में दिष्टधारा परिपथ में त्रृटि को पहचानने के लिये उपयुक्त हो ताकि विद्युत प्रदाय व्यवस्था में त्रृटियुक्त दिष्टधारा परिपथ में आवश्यक सुधार किया जा सके, जिससे कि ट्रांसफार्मर क्षमता की अनुपलब्धता तथा कीमती उपकरणों के असफल होने की दर कम होगी।

❖ **थायरिस्टर कन्ट्रोल्ड बैटरी चार्जर** – वर्तमान तकनीक का उपयोग करते हुए कंपनी थायरिस्टर कंट्रोल्ड बैटरी चार्जर खरीदने की प्रक्रिया में है जिससे पुराने वेरियेक कंट्रोल्ड चार्जर के स्थान पर थायरिस्टर कंट्रोल्ड, बूस्ट एवं फ्लोट चार्जिंग एवं स्वाचालित वोल्टेज नियंत्रण जैसी विशेषताएं होंगी।

❖ **'इ' श्रेणी टावर** – वर्तमान में अति उच्चदाब पारेषण लाइनों के डिजाइन में 'इ' श्रेणी टावर का उपयोग शामिल किया गया है। जो कि नये मानक के अनुरूप है एवं परम भार की अवधारणा पर आधारित है।

❖ **315 एम.वी.ए., 400 के.व्ही. ट्रांसफॉरमर के लिए ड्यूअल डिफरेन्सियल रिलेस** – उक्त रिले युग्म, आउटेज के समय तथा ट्रांसफार्मर की विफलता को कम करता है तथा विद्युत प्रदाय व्यवस्था की विश्वसनीयता को बढ़ाता है।

❖ **डिग्री ऑफ पोलराइजेशन (डी.पी.) टेस्ट** – ट्रांसफार्मर आयल की दशा (हेल्दीनेस) जानने के लिये वर्तमान में कंपनी के पास ऑनलाइन गैस मॉनीटरिंग उपकरण है। पेपर इन्सुलेशन की दशा (हेल्दीनेस) जानने के लिये, वाइन्डिग के डिग्री ऑफ पोलराइजेशन टेस्ट हेतु सुविधा विकसित की गयी है।

❖ **अग्नि संकटो से सुरक्षा** – 400 केव्ही और 220 केव्ही इंटरकनेक्टिंग उपकेन्द्रों में ट्रांसफार्मरों के साथ आग को सीमित कर बुझाने वाले नाइट्रोजन इंजेक्शन फायर प्रोटेक्शन सिस्टम तंत्र लगाए गए है।

❖ इसके अतिरिक्त निम्न प्रौद्योगिकी को भी अंगीकृत किया जा चुका है – लाईटनिंग अरेस्टर /सर्च अरेस्टर के लिए लीकेज करंट एनालॉयजर, फाल्ट लोकेटर, ओसांक (ड्यू पाईट) मीटर, थर्मल इमेजिंग /थर्मोविजन कैमरा, थ्री फेज रिले टेस्ट किट (करंट जनरेटर के साथ), लेवल मीटर तथा लेवल ऑसीलेटर, थर्मो साइफन फिल्टर प्रणाली का नवीनीकरण, ऑनलाईन मॉनिटरिंग सिस्टम, आटोमेटिक टर्न रेशो मीटर, हारमोनिक एनालायजर, स्वीप फ्रीक्वेंसी रिस्पोंस एनालाइजर (एसएफआरए), जीपीएस तंत्र का इवेन्ट रिकार्डर को समाकालिक करने में उपयोग, सक्रिट ब्रेकर एनालाईजर एवं डीजल जनरेटिंग सेट की स्थापना।

9.6 वर्तमान और भविष्य का परिदृश्य :परियोजना क्रियान्वयन (Project Implementation):

म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने उपलब्ध संसाधनों का कुशल उपयोग कर निश्चित समयसीमा में परियोजनाओं के क्रियान्वयन को हमेशा प्राथमिकता दी है। इस हेतु क्रमबद्ध गतिविधियों में परियोजना निवेश की अनुज्ञा, प्रोजेक्ट राशि (फंड) का गतिशीलन, निविदा क्रियाएँ, समय–समय पर परियोजना की समीक्षा एवं निरीक्षण तथा अन्य गतिविधियाँ जैसे कि भूमि अधिग्रहण, सर्वेक्षण आदि शामिल है।

❖ **जन निजी भागीदारी परियोजना [Public Private Partnership (PPP) Project]**– म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमि. द्वारा सतपुडा पावर प्लांट से उत्पादित ऊर्जा के पारेषण हेतु 400 के. व्ही. सतपुड़ा–आष्टा पारेषण लाईन परियोजना (लंबाई 240 किलोमीटर) को जन निजी भागीदारी प्रणाली (Public Private Partnership mode) द्वारा डीबीएफओटी (DBFOT) तरीके से विकसित करने हेतु कार्यवाही वर्ष 2011–12 में शुरू की गई। इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न अधिकारिक संस्थाओं एवं म.प्र.शासन से सभी आवश्यक स्वीकृतियाँ प्राप्त करके मेसर्स कल्पतरू पॉवर ट्रांसमिशन लिमि गांधीनगर को इस पारियोजना का विकास करने हेतु 60.75 करोड़ रूपये के अनुदान (परियोजना की अनुमानित लागत का 21.49%) के साथ ठेका प्रदान किया गया था। संबंधित कंपनी

द्वारा यह कार्य अप्रैल, 2015 में पूर्ण किया जा कर लाईन को ऊर्जीकृत किया जा चुका है। यह लाईन विगत 8 माह से सहायतापूर्वक ऊर्जा का पारेषण कर रही है। संचार व सुरक्षा सुविधा हेतु, इस पारेषण लाईन में ओ.पी.जी.डब्ल्यू. (OPGW) का उपयोग किया गया है तथा पारेषण लाईन की पूरी लंबाई में यह प्रणाली बिना किसी रिपीटर स्टेशन के कार्य कर रही है। इस परियोजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमि. को कांउसिल ऑफ पावर युटिलिटिज नई दिल्ली के द्वारा आठवां इंडिया पावर युटिलिटी अवार्ड नवंबर, 2015 में प्रदान किया गया है।

इस सफल प्रयास के बाद म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमि, के द्वारा श्री सिंगाजी स्थित 2X600 मेगावाट मालवा ताप विद्युत गृह (द्वितीय चरण) से उत्पादित ऊर्जा के पारेषण हेतु मालवा ताप विद्युत गृह से पीथमपुर तक (लंबाई 160 कि.मी.) तथा पीथमपुर से बदनावर तक (लंबाई 60 कि.मी.) 400 केव्ही पारेषण लाईन तथा 400 केव्ही उपकेन्द्र पीथमपुर तथा बदनावर में क्रमशः 4 तथा 2 नग 400 केव्ही फीडर बे का निर्माण विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की टैरिफ बेस्ड काम्पिटिटिव बिडिंग (TBCB) के अंतर्गत बिल्ड, ओन, आपरेट, मेन्टेन (BOOM) तरीके से जन निजी भागीदारी प्रणाली (Public Private Partnership Mode) द्वारा विकसित करने हेतु प्रस्ताव तैयार किया जा कर परियोजना पर सैद्धांतिक सहमति प्राप्त की गई है। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक विभिन्न अधिकारिक संस्थाओं एवं म.प्र. शासन से सभी आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करने का कार्य प्रगति पर है। साथ ही परियोजना के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक ट्रांसमिशन कंसल्टेंट व ट्रांजेक्शन एडवाइजर के चयन हेतु निविदा प्रक्रिया का कार्य भी प्रगति पर है।

❖ **ईआरपी (Enterprise Resource Planning)** – मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी द्वारा एकीकृत सूचना प्रौद्योगिकी समाधान (आईटी सॉल्यूशन) के द्वारा अपने कार्य प्रवाह एवं क्षमता को और बेहतर बनाने, मौजूदा एवं भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उद्यम संसाधन आयोजना (इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग–ईआरपी) को लागू करने का निर्णय लिया है। ईआरपी के जरिये कम्पनी अपने लक्ष्य को अधिक जवाबदारी, शीघ्रता, बेहतर प्रदर्शन और पारेषण हानि को न्यूनतम करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर भारत में एक आदर्श पारेषण कंपनी के रूप में मानक निर्धारित करेगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अगस्त 2013 में मेसर्स प्राइस वॉटर हाउस कूपर्स प्राइवेट लिमिटेड, गुड़गांव को कार्यक्रम प्रबंधन परामर्शदाता के रूप में चयनित किया गया है। एमपीपीटीसीएल की मौजूदा कार्य पद्धति और विधियों का अध्ययन करने के पश्चात, ईआरपी को क्रियान्वयन हेतु सिस्टम इंटीग्रेटर के चयन के लिए कार्यवाही प्रगति पर है। यह अनुमानित है कि सिस्टम इंटीग्रेटर के चयनित होने के बाद, ईआरपी साफ्टवेयर का "Go-Live" दो वर्ष की समयावधि में संभावित है।

9.7 **राज्य भार प्रेषण केन्द्र (Load Despatch Center)** – राज्य भार प्रेषण केन्द्र, जबलपुर तथा उप–भार प्रेषण केन्द्र, भोपाल एवं इंदौर में स्थापित स्काडा/ऊर्जा प्रबंधन (ई.एम.एस.) प्रणाली को उन्नत तकनीकी युक्त नवीनतम प्रणाली से बदलने का कार्य "पश्चिम क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र, राज्य प्रेषण केन्द्रों व उप–भार प्रेषण केन्द्रों में संचालित स्काडा/ऊर्जा प्रबंधन (ई.एम.एस.) प्रणाली का उन्नयन एवं विकास" परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है। नई स्काडा/ऊर्जा प्रबंधन (ई.एम.एस.) प्रणाली की स्थापना हो चुकी हैं एवं परीक्षण का कार्य प्रगति पर है। उप–भार प्रेषण केन्द्र, भोपाल को राज्य भार प्रेषण केन्द्र जबलपुर के प्रतिरूप में (Back up SLDC) विकसित किया जा रहा है।

वास्तविक समय आंकडो (Real Time Data) के प्रभावी डिस्प्ले हेतु, 70 इंच साईज के आठ स्क्रीन 2X4 के ब्लाक में स्थापित किये जा चुके है, जिनका उन्नयन 3X5 के ब्लाक में किया जाना प्रस्तावित है। नई प्रणाली उन्नत गुणवत्ता युक्त है, जिसमें बेव सर्वर के माध्यम से रिमोट एक्सेस, ग्रिड डाटा का प्रभावी प्रदर्शन तथा अन्य कंट्रोल सेंटर को परस्पर डाटा एक्सचेंज हेतु संयोजन, सुरक्षित एवं उन्नत प्रोटोकॉल विश्लेषण, डिस्पैचर ट्रेनिंग सिमुलेटर, ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली (Energy Management System), विगत 5 वर्षों तक के डाटा का स्टोरेज, साईबर सिक्युरिटी, सब–स्टेशनों/उत्पादन केन्द्रों व नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन केन्द्रों को समेकित किया जाना इत्यादि सुविधाओं का उपयोग किया जा रहा है। मप्रपाट्राकंलि के स्काडा प्रणाली को भी भार प्रेषण स्काडा प्रणाली से समेकित किए जाने एवं इसके माध्यम से आटोमेटिक डिमांड मैनेजमेंट प्रणाली (ADMS) का क्रियान्वयन कार्य भी अपने अंतिम चरण में है।

9.7.1 राज्य भारप्रेषण केन्द्र स्काडा प्रणाली के प्रतिरूपराज्य भार प्रेषण केन्द्र (बैकअप एस. एल.डी.सी.) को भोपाल में स्थापित किया जाना :–

आपदा प्रबंधन के दृष्टिगत राज्य भार प्रेषण केन्द्र जबलपुर में स्थापित स्काडा प्रणाली का प्रतिरूप गोविंदपुरा, भोपाल में "पश्चिम क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र एवं राज्य भार प्रेषण केन्द्रों व उप भार प्रेषण केन्द्रों में संचालित स्काडा/ई.एम.एस. प्रणालियों का उन्नयन एवं विकास" परियोजना के अंतर्गत स्थापित किया जा रहा है। इस हेतु भोपाल में 'प्रतिरूप भार प्रेषण केंद्र' के भवन का निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में है एवं स्काडा व वाइड बैंड संचार प्रणाली के उपकरणों की स्थापना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं परीक्षण कार्य प्रगति पर है। संचार व्यवस्था के अंतर्गत, भोपाल 400 केव्ही सब स्टेशन से भोपाल 220 केव्ही सब स्टेशन के मध्य, ऑप्टिकल ग्राउंड वायर एवं 220 केव्ही सब स्टेशन से गोविंदपुरा कार्यालयीन परिसर तक फाइवर आप्टिक पहुंच केवल लगवाने तथा बैकअप एस. एल.डी.सी. में संचार उपकरणों की स्थापना का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

9.7.2 यूनिफाईड रियलटाइम डायनामिक स्टेट मापन प्रणाली (URTDSM) :–

एकीकृत त्वरित सम्यक परिवर्तन मापन प्रणाली (URTDSM) एककालिक फेजर (Syncrophaser) तकनीकी पर कार्य करती है और इसकी मदद से सटीक मापन, निगरानी, अध्ययन, नियंत्रण, आदान–प्रदान का एक निश्चित क्रम में उपलब्धतानुसार कार्य बहुत कुशलता एवं दक्षता के साथ किया जा सकता है। एकीकृत त्वरित सम्यक परिवर्तन मापन प्रणाली के द्वारा विद्युत प्रणाली की देख–रेख कुशलता से की जा सकती है तथा प्रणाली का सुरक्षात्मक संचालन एवं स्थिरता में बहुत मदद मिलेगी। उक्त प्रणाली की स्थापना का कार्य सभी पांच विद्युतीय क्षेत्रों में संपादित किया जा रहा है। इससे संबंधित कार्यादेश पावरग्रिड द्वारा मेसर्स एलस्टॉम (ALSTOM) को जनवरी, 2014 मे प्रदान किया जा चुका है तथा इस कार्य को जनवरी, 2017 तक पूर्ण किया जाना संभावित है।

9.7.3 मास्टर दूर संचार योजना का मध्यप्रदेश में क्रियान्वयन :–

मध्यप्रदेश में पावर ग्रिड कार्पोरेशन के द्वारा क्रियान्वित "ऑप्टीकल पॉवर ग्राउण्ड वायर" (OPGW) पर आधारित मुख्य दूरसंचार योजना का क्रियान्वयन प्रगति पर हैं । इस परियोजना के अंतर्गत म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी की पारेषण लाइनों पर लगभग 900 किलोमीटर "ऑप्टीकल पॉवर ग्राउण्ड वायर" (OPGW) नेटवक्र एवं 47 उपक्रेन्द्रों में वाइड बैंड संचार नोड की स्थापना की जावेगी। वर्तमान में 13 वाइड बैंड नोड को उन्नत तकनीकी उपकरणों से नवीनीकृत किया जा चुका है।

9.7.4 राज्य भार प्रेषण केन्द्र पश्चिम क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र एवं राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र के मध्य वीडियो कांफ्रेंसिग सुविधा की स्थापना :–

राज्य भार प्रेषण केन्द्र जबलपुर, राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र नई दिल्ली, पश्चिम क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र एवं अन्य पश्चिम क्षेत्रीय राज्य भार प्रेषण केन्द्रों में वीडियो कांफ्रेंसिग प्रणाली की स्थापना का कार्य "पश्चिम क्षेत्र में"स्काडा/ई.एम.एस. प्रणाली के उन्नयन एवं विकास परियोजना" के अन्तर्गत, दिसम्बर 2014 के दौरान पूर्ण किया जा चुका है। वर्तमान में वीडियों कांफ्रेंसिंग हेतु 55" के 2 एल.सी.डी पटल (प्रस्तावित 4X55) वीडियों कैमरा, माइक्रोफोन स्पीकर एम्प्लीफायर इत्यादि उपकरण लगाये गये हैं जिसका उन्नयन 4X55" में किया जा रहा है। पश्चिम क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र मुम्बई में मल्टी कांफ्रेंसिंग इकाई की स्थापना की गई है जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र, अन्य क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों एवं संबद्ध राज्य भार प्रेषण केन्द्रों से वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध है।

9.7.5 लघु अवधि खुली पहुंच (Short Term Open Access) – केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग एवं म.प्र. विद्युत नियामक आयोग के रेग्युलेशन के तहत भार प्रेषण केन्द्र द्वारा लघु अवधि खुली पहुंच के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का निष्पादन नियामक आयोग द्वारा निर्धारित समयावधि में किया जाता है। प्रदेश में लघु अवधि खुली पहुंच की निबंधन एवं शर्ते विनियम के क्रियान्वयन होने के पश्चात् अद्यतन स्थिति में कुल 61 आवेदकों को लघु अवधि खुली पहुंच की अनुमति प्रदाय की जा चुकी है।

9.7.6 राज्य भार प्रेषण केन्द्र में उपलब्धता आधरित दर, खुली पहुँच, नवीकरणीय ऊर्जा एवं मैनेजमेंट सूचना हेतु, समेकित प्रणाली की स्थापना :–

राज्य भार प्रेषण केन्द्र में वर्तमान में क्रियान्वित उपलब्धता आधारित दर प्रणाली की स्थापना वर्ष 2006 के अंतिम तिमाही के दौरान की गई है जिसमें कि राज्यांतर उपलब्धता आधारित दर संबंधित मूलभूत सुविधायें उपलब्ध हैं। समयोपरांत इस प्रणाली में उपलब्ध सुविधाओं का दायरा सीमित हो चुका है। अतः प्रणाली की सीमित क्षमताओं के निराकरण हेतु नवीनतम तकनीकी से युक्त एक नई

प्रणाली जिसमें उपलब्धता आधारित दर, खुली पहुँच, नवकरणीय ऊर्जा एवं मैनेजमेंट सूचना संबंधी कार्य समाहित हो, इसकी स्थापना अवश्यक है। नई प्रणाली में वेव आधारित संसूचीकरण, नवकरणीय ऊर्जा, उत्पादन का लेखा, नवकरणीय ऊर्जा रेग्यूलेटरी फंड, नवकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र, बिलिंग, लघुकालीन खुली पहुँच/विचलन मेकेनिज्म संबंधी प्रभार, आटोमेटिक मीटर रीडिंग एवं इंफार्मेशन मैनेजमेंट तथा स्काडा प्रणाली को भी समेकित किया जावेगा एवं लघु कालीन खुली पहुंच आवेदनों का निराकरण, ग्रिड एलीमेंट के आउटेज का प्रबंधन, दैनिक/मासिक/वार्षिक प्रगति रिपोर्ट एवं अन्य प्रशासनिक सूचना संबंधी रिपोर्टो को तैयार करना इत्यादि कार्य किये जा सकेंगे। इस प्रणाली से भार प्रेषण केन्द्र की अनेक समयबद्ध गतिविधियों का निर्वहन और अधिक प्रभावी हो सकेगा। आपदा प्रबंधन हेतु अपेक्षित व्यवस्थाओं के दृष्टिगत, भोपाल बैकअप भार प्रेषण केन्द्र भवन में, उपलब्धता आधारित दर प्रणाली का एक डाटा स्टोरेज सर्वर भी स्थापित किया जावेगा। इस प्रणाली का स्थापना कार्य वर्ष 2016 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

9.7.7 पूर्ण या आंशिक अंधकार की स्थिति में विद्युत प्रणाली की पुर्नस्थापना का छद्म अभ्यास (Mock Drill) :–

विद्युत प्रणाली में आकस्मिक व्यवधान आने पर प्रदेश में पूर्ण या आंशिक अंधकार की स्थिति निर्मित होने की संभावना बनी रहती हैं। पूर्ण एवं आंशिक अंधकार की स्थिति में विद्युत प्रणाली का न्यूनतम समय में पुनः स्थापन राज्य भार प्रेषण केन्द्र की सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। इन परिस्थितियों में जल विद्युत गृहों का संचालन कर ताप विद्युत गृहों को चालू करने के लिए आवश्यक विद्युत ऊर्जा उपलब्ध कराई जाती है। केन्द्रीय नियामक आयोग के निर्देशानुसार समय–समय पर इस प्रक्रिया का छद्म अभ्यास किया जाना आवश्यक है जिससे वास्तविक व्यवधान के समय न्यूनतम अवधि में विद्युत प्रणाली का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जा सके। राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा इंदिरा सागर, बरगी, गांधी सागर, पेंच एवं टोन्स जल विद्युत गृहों का पूर्ण अंधकार की स्थिति में चालू करने का सफलतापूर्वक छद्म अभ्यास किया गया है। वर्ष 2015–16 में 4 छद्म अभ्यास किये जा चुके हैं एवं वर्ष 2011 से अब तक कुल 15 बार छद्म अभ्यास पूर्ण किये जा चुके हैं।

9.8 ऊर्जा संरक्षण :

❖ **हरित पहल (Green Initiative)** – कंपनी के कुछ अति उच्च दाब उपकेन्द्रों में पानी की अति समस्या है। सर्वविदित है कि जल अति आवश्यक एवं बहुमूल्य संसाधन है, इस हेतु कंपनी ने कुछ अति उच्च दाब उपकेन्द्रों में जल संचयन के उपाय किये हैं। यह जल समस्या के निराकरण हेतु एक अच्छा समाधान है। कुछ चुने हुए उपकेन्द्रों में छत पर एकत्रित वर्षा का संग्रहण कर उसे विशेष रूप से निर्मित भूमिगत गडढों में डाला जाता है, जिससे भूमि का जल स्तर बढ़ाने में मदद मिलती है। इन प्रयासों से उपकेन्द्रों में जल समस्या के निराकरण हेतु कुछ हद तक मदद मिली है। इन प्रयासों से जो पानी व्यर्थ ही नालियों में बह जाता था, वह आज उपयोग में लाया जा रहा है। इससे उपकेन्द्रों के परिसर की भूमि का जल स्तर बढा हैं। इन उपायों को और भी उपकेन्द्रों में लागू करने की योजना है, जिससे जल समस्या के निराकरण में मदद मिलेगी।

❖ **अति उच्चदाब उपकेंद्रों में ऊर्जा संरक्षण –**

(अ) ऊर्जा बचत के प्रभाव/उपाय :–

पूर्व में कंट्रोल एवं रिले पेनलों, चार्जरों में परंपरागत फिलामेंट वाले बल्ब उपयोग में लाये जाते थे इन ज्यादा ऊर्जा खपत वाले बल्बों को एलईडी बल्बों से निरंतर बदला जा रहा है। 5–8 वाट का एलईडी बल्ब, 40 से 60 वाट के परंपरागत बल्ब के बराबर रोशनी देता है साथ ही इसकी कार्यशील उम्र भी लगभग 20 गुना ज्यादा है व ऊर्जा की खपत मात्र 1/10 ही है। ऊर्जा की बचत हेतु कंपनी द्वारा पुराने बल्बों और स्ट्रीट टयूब लाइटों को भी एलईडी बल्बों में बदलने का कार्य योजना में है।

(ब) कंपनी द्वारा वैकल्पिक ऊर्जा स्त्रोत के उपयोग हेतु उठाये गये कदम :–

1. वर्तमान में क्रय किये जाने वाले रिले पेनल, चार्जर, सक्रिट ब्रेकर एवं ट्रांसफार्मर के मार्शेलिंग बाक्स मे परंपरागत बल्ब की जगह एलईडी बल्बों का ही उपयोग किया जा रहा है।

2. पूर्व में हवा के दाब से चलने वाले मैकेनिज्म युक्त सक्रिट ब्रेकरों का उपयोग होता था, इसमें हवा का निरंतर दाब बनाये रखने हेतु काम्प्रेसर को बार–बार चलाना होता था जिससे अत्यधिक ऊर्जा की खपत होती थी। वर्तमान में इन ब्रेकरों की जगह स्प्रिंग मैकेनिज्म युक्त सक्रिट ब्रेकरों का उपयोग किया जा रहा है जिसमें ऊर्जा का उपयोग मात्र सक्रिट ब्रेकर को बंद/चालू करने में होता है जिससे निरंतर ऊर्जा की खपत न होने से बहुमूल्य ऊर्जा की बचत सुनिश्चित की गई।

9.9 गुणवत्ता आश्वासन (Quality Assurance):–

कार्यशील विद्युत संस्थानों के प्रमाणीकरण एवं उनकी संचालन क्षमता बढ़ाने हेतु तथा प्रदेश में 24X7 घंटे सतत् विद्युत प्रदाय के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु कंपनी द्वारा कार्यशील संस्थानों तथा कार्यालयों के प्रमाणीकरण हेतु पहल की गई। इसी के तहत् 26 नं. अति उच्च दाब उपकेन्द्रों , 2 नं. 400 केव्ही पारेषण लाईन उज्जैन स्थिति अधीक्षण अभियंता (परीक्षण एवं संचार) का कार्यालय तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र, जबलपुर को आई.एस.ओ.–9001:2008 प्रमाण पत्र हासिल हुआ है।

10. ऊर्जा के क्षेत्र में प्रबंधन :राज्य में विद्युत की उपलब्धता तथा प्रदाय की सुनिश्चितता को बनाये रखने के लिये एम.पी. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड का गठन किया गया है। एम.पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी द्वारा राज्य की विद्युत उत्पादन कम्पनी के साथ–साथ केन्द्रीय क्षेत्र की एवं सरकारी उपक्रमों सहित निजी क्षेत्र की उत्पादक कम्पनियों से दीर्घकालीन विद्युत क्रय अनुबंध कर विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित करना होता है।

10.1 विद्युत उत्पादन में क्षमता वृद्धि :

वित्तीय वर्ष 2013–14 के अंत में राज्य क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र, निजी क्षेत्र की परियोजनाओं से प्रदेश हेतु कुल 12656 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता उपलब्ध थी। वर्ष 2014–15 के दौरान विद्युत उत्पादन क्षमता में 2535 मेगावाट की वृद्धि हुई है। वर्ष 2014–15 में जिन नई परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन प्रारंभ हुआ, उनका विवरण नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है :–

क्र.	परियोजना	प्रदेश को प्राप्त होने वाली विद्युत की मात्रा (मेगावाट)
1	श्री सिंगाजी सुपर ताप विद्युत गृह प्रथम चरण इकाई क्र. 2	600
2	सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट–इकाई क्र.1,4,5 एवं 6	990
3	जे.पी.नगरी ताप विद्युत गृह–इकाई क्र.1,4,5 एवं 6	495
4	नवकरणीय ऊर्जा स्त्रोत	450
	कुल	**2535**

वर्ष 2015–16 में माह दिसम्बर 2015 तक राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता में 708 मेगावाट की वृद्धि हुई है। इस प्रकार माह दिसम्बर 2015 के अंत तक कुल उपलब्ध उत्पादन क्षमता 15898 मेगावाट हो चुकी है। वर्ष 2015–16 के दौरान क्रियाशील नई विद्युत इकाइयों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

क्र.	परियोजना	प्रदेश को प्राप्त होने वाली विद्युत की मात्रा (मेगावाट)
1	एन.टी.पी.सी. विंध्याचल, सुपर ताप विद्युत गृह चरण V, इकाई क्र.1	142
2	एम.बी.पावर सुपर ताप विद्युत गृह इकाई क्र. 1	210
3	नवकरणीय ऊर्जा स्त्रोत	356
	कुल	**708**

10.2 नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से प्राप्त विद्युत :–

प्रदेश में माह दिसम्बर 2015 के अंत में नवकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से 1606.02 मेगावाट की विद्युत क्षमता से विद्युत क्रय किया जा रहा है। इस क्षमता में 70.45 मेगावाट की लघु जल विद्युत इकाईयां, 1050.92 मेगावाट की पवन ऊर्जा इकाइयां तथा 435.25 मेगावाट की सौर ऊर्जा इकाईयां और 49.4 मेगावाट की बायो गैस बायो मास इकाईयां सम्मिलित हैं।

11. मध्यप्रदेश विद्युत निरीक्षकालय एवं उसकी गतिविधियां/क्रियाकलाप :–

राज्य मे विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधान प्रभावी होने के पश्चात विद्युत के उत्पादन, पारेषण एवं वितरण का कार्य व्यापक स्वरुप का हो गया है। शासन की उद्योग संवर्धन नीति के अन्तर्गत उद्योगों एवं ओद्योगिक समूहों द्वारा स्थापित केप्टिव पावर संयंत्रो से विद्युत का उत्पादन, ओपन एक्सेस के माध्यम से विद्युत का पारेषण एवं वितरण में वृद्धि हुई है। विद्युत दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु स्थापित विद्युत उपकरणों, संस्थापनाओं और लाइनों की जांच कर सुरक्षा को सुनिश्चित करना आवश्यक हो गया है। राज्य में विद्युत के विक्रय तथा उपभोग पर राज्य शासन द्वारा अधिरोपित विद्युत शुल्क, उपकर के उदग्रहण का उत्तरदायित्व विद्युत निरीक्षकालय का है। अधिनियम के अन्तर्गत विद्युत निरीक्षक को विधिक स्वरुप में अपील एवं निराकरण की शक्तियां प्रदान की गई है। निम्न अधिनियम तथा नियमों के प्रशासन का उत्तरदायित्व विद्युत निरीक्षकालय पर है :–

(1) विद्युत अधिनियम, 2003
(2) विद्युत नियम, 2005
(3) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम 2010 एवं इस पर संशोधन के पश्चात् विनियम, 2015
(4) मध्यप्रदेश सिनेमा गृह नियम, 1972
(5) मध्यप्रदेश अनुज्ञापन मण्डल (विद्युत) विनियम, 1960
(6) मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012
(7) मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, 1981 (अद्यतन स्थिति में संशोधन सहित)

विद्युत निरीक्षकालय के लिये सभी श्रेणियों के 594 पदों का सृजन किया गया है। इनमें राजपत्रित वर्ग में प्रथम श्रेणी के 22, द्वितीय श्रेणी के 68, तृतीय श्रेणी के 403 एवं चतुर्थ श्रेणी के 101 पद है। मुख्यालय भोपाल के अधीन इन्दौर, उज्जैन, रीवा एवं जबलपुर में 4 वृत्त कार्यालय, 14 संभागीय कार्यालय तथा 51 उपसंभाग हैं।

11.1. विद्युत निरीक्षकालय की गतिविधियां एवं आय–व्यय की जानकारी : विद्युत निरीक्षकालय को विभिन्न नियमों एवं अधिनियमों के अन्तर्गत निरीक्षण एवं अनुज्ञापन शुल्क, विद्युत कर एवं उपकर से राजस्व प्राप्त होता है जो कि राज्य शासन की संचित निधि में संग्रहित होता है। विद्युत निरीक्षकालय के लिये पृथक से बजट स्वीकृत नहीं किया जाता है। विद्युत निरीक्षकालय के आय एवं व्यय की जानकारी निम्नानुसार है –

आय	**वर्ष 2014–15 में कुल आय रू. 2010 करोड़**	**वर्ष 2015–16 में रू. 2200 करोड़ का लक्ष्य (माह दिसम्बर 2015 तक रू. 1478 करोड़ की प्राप्तियॉं)**
व्यय	**वर्ष 2014–15 में व्यय रू. 24.01 करोड़**	**वर्ष 2015–16 में अनुमानित व्यय का बजट प्रावधान रू. 25.68 करोड़**

11.2 विभागीय गतिविधियां (सांख्यिकी) : राज्य में घटित होने वाली विद्युत दुर्घटनाओं का संबंध विद्युत संस्थापनाओं से होता हैं, जिनकी जांच उपरांत इनकी रोकथाम के लिये तथा दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु निर्देश दिये जाते हैं। अन्य विद्युत दुर्घटनाओं के संबंध में जहां विद्युत दुर्घटनाओं में गंभीर दुर्घटनायें पायी जाती हैं, वहां सीधे न्यायालय में प्रकरण दायर कर अभियोजन की कार्यवाही की जाती है।

11.3 विद्युत दुर्घटनाओं के मुख्य कारण निम्नानुसार हैं –

1 टूटे तारों के सम्पक्र में आना।
2 अज्ञानतावश बिजली के खंबे तथा टावरों पर चढ़ना।
3 अप्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा कार्य करना।
4 विद्युत की लाईनो एवं उपकरणों में लीकेज होना।

वर्ष के दौरान 528 दुर्घटनाएं हुई जिसमें विद्युत कम्पनियों से संबंधित 486 दुर्घटनाएं थीं। जबकि उपभोक्ताओं से संबंधित 42 दुर्घटनाएं घटित हुई।

11.4 **विद्युत दुर्घटना में मृत/घायल व्यक्तियों को आर्थिक सहायता :** विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा बाहरी व्यक्तियों की घातक विद्युत दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके आश्रित को 4 लाख क्षतिपूर्ति की राशि प्रावधानित की है। घायल व्यक्तियों के लिए 59100 रूपये से 2 लाख तक की आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान है।

11.5 **अनुज्ञापन मण्डल संबंधी कार्य :** केन्द्रीय विद्युत प्राधिकारण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम 2010 के विनियम 29 के अन्तर्गत म.प्र. अनुज्ञापन मण्डल (विद्युत) विनियन के अन्तर्गत विभाग द्वारा वर्ष में जुलाई के महीने में तारमिस्त्री एवं पर्यवेक्षक सक्षमता प्रमाण–पत्र एवं अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु परीक्षाएं प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आयोजित की गई।

तारमिस्त्री परीक्षाओं का संचालन प्रत्येक संभागीय कार्यालय स्तर पर गठित संभागीय अनुज्ञापन समिति द्वारा किया जाता है। पर्यवेक्षक परीक्षायें मुख्यालय भोपाल में गठित अनुज्ञापन मण्डल के अधीन आयोजित की जाती हैं।

11.6 **तारमिस्त्री परीक्षा केन्द्र :–**

1. रतलाम	2. उज्जैन	3. ग्वालियर	4. भोपाल	5. इन्दौर
6. सतना	7. खण्डवा	8. जबलपुर	9. सीहोर	10. शहडोल
11. छिंदवाड़ा	12. बैतूल			

11.7 **पर्यवेक्षक परीक्षा केन्द्र :–**

1. भोपाल 2. जबलपुर 3. शहडोल

मध्यप्रदेश अनुज्ञापन मण्डल (विद्युत) भोपाल द्वारा "अ" वर्ग विद्युत ठेकेदारों एवं पर्यवेक्षकों को अनुज्ञप्ति जारी की जाती है। जबकि संभागीय अनुज्ञापन एवं क्षेत्रीय अनुज्ञापन समितियों द्वारा "ब" वर्ग विद्युत ठेकेदारी अनुज्ञप्ति एवं तारमिस्त्रीयों को परमिट जारी किये जाते हैं। वर्ष के दौरान 602 पर्यवेक्षक परीक्षार्थी में से 186 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए तथा तारमिस्त्री परीक्षा हेतु 3845 परीक्षार्थी में से 2423 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए।

11.8 **विद्युत शुल्क एवं उर्जा विकास उपकर :** म.प्र.विद्युत शुल्क अधिनियम 2012/नियम 1949 एवं मध्य प्रदेश उपकर अधिनियम, 1981 (ऊर्जा विकास उपकर) के अन्तर्गत उपभोक्ताओं एवं स्वयं के उत्पादकों से उत्पादित विद्युत खपत पर विद्युत शुल्क एवं ऊर्जा विकास उपकर के रिकार्ड का रख–रखाव किया जाता है।

12. **जेण्डर मुद्दों के संबंध में विभागीय पहल :** ऊर्जा विभाग द्वारा जेण्डर सेल का गठन दिनांक 14 दिसम्बर 2015 को किया गया है, जिसमें निम्नलिखित अधिकारी शामिल है :–

i.	पदेन सचिव, ऊर्जा विभाग	अध्यक्ष
ii.	उप सचिव, ऊर्जा विभाग	सदस्य
iii.	अवर सचिव, ऊर्जा विभाग	संयोजक
iv.	उप संचालक, ऊर्जा विभाग	सदस्य

विद्युत कंपनियों से जेण्डर विषयक मानकों एवं जानकारी को प्राप्त कर विद्युत क्षेत्र में जेण्डर मुद्दों को चिन्हित कर संभावित नीतियों और योजनाओं पर विचार करना उपरोक्त सेल के कार्यक्षेत्र में शामिल है। प्रारूप नीति/योजना पर विद्युत क्षेत्र की कंपनियों के साथ विचार–विमर्श कर इसे क्रियान्वित करने की रणनीति तैयार की जाना प्रस्तावित है। उल्लेखनीय है कि विद्युत कंपनियों द्वारा प्रदत्त किये गये घरेलू एवं अन्य संयोजनों का लाभ पूरे परिवार को मिलता है, जिसमें महिलायें शामिल है। विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा कन्या विद्यालयों तथा महाविद्यालयों को भी संयोजन प्रदान किये गये हैं।

—00—

प्रमुख विद्युत समंक 2015–16

वार्षिक योजना 2015–16 की योजनावार प्रगति– दिसम्बर 2015 तक

स. क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	इकाई	12 वीं पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य	वर्ष 2015–16		टिप्पणी
				कार्यक्रम	उपलब्धित	
1	2	3	4	5	6	7
1	स्थापित उत्पादन क्षमता					
अ (I)	11 वीं पंचवर्षीय योजनांतर्गत परियोजनाएं					
1	श्री सिंगाजी (मालवा) ताप विद्युत परियोजना (2X600 मे.वा.)	मेगावाट	1200	0	0	प्रथम इकाई से 2013–14 में उत्पादन प्रारंभ एवं द्वितीय इकाई दिनांक 11.10.2014 को क्रियाशील
2	सारणी ताप विद्युत परियोजना विस्तार (2X250 मे.वा.) (10 एवं 11)		500	0	0	दोनों इकाईयों से 2013–14 में उत्पादन प्रारंभ
(II)	12 वीं पंचवर्षीय योजना अंतर्गत परियोजना					
1	श्री सिंगाजी (मालवा) ताप विद्युत परियोजना फेस –2 (2X 660 मे. वा.)	मेगावाट	1188	0	0	13 वीं पंचवर्षीय योजना अंतर्गत
2	दादा धूनीवाले ताप विद्युत परियोजना (2X800 मे.वा.)					म.प्र.शासन द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार इस परियोजना को स्थगित कर दिया गया है।
3	बाणसागर ताप विद्युत परियोजना टिकराटोल जिला शहडोल (2 X 800 मे.वा.)					परियोजना हेतु उपयुक्त भूमि चयन की प्रक्रिया जारी
	योग (म.प्र. पावर सेक्टर योजनाएं)		**2888**	**0**	**0**	
ब	पारेषण कार्य					
(III)	**पारेषण लाइन**					
1	400 के.व्ही. अतिउच्च दाब पारेषण लाइन	सर्किट कि.मी.	2840	0	0	
2	220 के.व्ही. अतिउच्च दाब पारेषण लाइन		2209	334.7	209.76	
3	132 के.व्ही. अतिउच्च दाब पारेषण लाइन		5618	646	509.77	
	कुल सर्किट कि.मी		**10667**	**980.70**	**719.53**	
(IV)	**अतिउच्च दाब उपकेंद्र**					
1	400 के.व्ही. अतिउच्च दाब उपकेंद्र	एम.व्ही. ए.	5985	630	630	
2	220 के.व्ही. अतिउच्च दाब उपकेंद्र		7680	1960	1160	
3	132 के.व्ही. अतिउच्च दाब उपकेंद्र		6033	1287	1049	
	कुल एम.व्ही. ए.		**19698**	**3877**	**2839**	
स	उपपारेषण एवं वितरण कार्य					
1	33 के.व्ही.लाइन	कि.मी.	5289	1808	1478	
2	11 के.व्ही.लाइन		106967	16480	12456	

3	एल.टी.लाइन		0	9833	3837	
4	पावर ट्रांसफार्मर (33/11 के.व्ही नए एवं अतरिक्ति)	संख्या	1443	217	162	
5	वितरण ट्रांसफार्मर (नए)		208329	30210	24335	
द	**ग्रामीण विद्युतीकरण (आर.जी.जी.व्ही.वाई. अंतर्गत)**					
1	11 के.व्ही.लाइन	कि.मी.	34003	4068	3477	
2	एल.टी.लाइन		16192	3177	2926	
3	वितरण ट्रांसफार्मर (नए)		22199	4382	4612	

प्रपत्र–2

वार्षिक योजना 2015–16 के योजनावार स्वीकृत परिव्यय एवं व्यय (दिसंबर 2015 तक)

(लाख रू. में)

स. क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	स्वीकृत परिव्यय	बजट प्रावधान (प्रथम अनुपूरक बजट सहित)	पुनरीक्षित प्रस्तावित बजट प्रावधान	योजना व्यय (दिसंबर 2015 तक)
1	2	3	4	5	6
I.	म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी				
अ	**पूर्ण विद्युत उत्पादन परियोजनाऍं**				
1	श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना (प्रथम चरण) (2x600 मेगावाट)	17100	17000	2000	0
2	सारनी ताप विद्युत परियोजना विस्तार (2x250 मेगावाट)	8500	8500	8500	295
ब	**निर्माणाधीन विद्युत उत्पादन परियोजनाऍं**				
1	श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना (द्वितीय चरण) (2x660 मेगावाट)	40000	36000	6000	1242
स	**नई विद्युत उत्पादन परियोजनाऍं**				
1	दादा धूनी वाले ताप विद्युत परियोजना (2x800 मेगावाट)	1	0	0	0
2	अमरकंटक ताप विद्युत परियोजना विस्तार (1x250 मेगावाट)	1	0	0	0
3	सारनी ताप विद्युत परियोजना विस्तार (1x660 मेगावाट)	100	0.01	0.01	0
4	श्री सिंगाजी (द्वितीय चरण) व सारनी ताप विद्युत विस्तार परियोजना हेतु आवंटित कोल ब्लाक के विकास हेतु	0	0.001	15000	0
द	**ताप विद्युत गृहों का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण**	4175	4000	12410	582
	उप–योग (म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी)	**69877**	**65500.011**	**43910.01**	**2119**
II.	म.प्र. पावर मैनेजमेंट कंपनी				
1	बाणसागर ताप विद्युत परियोजना (2x800 मेगावाट)	5000	1000	0	0
2	ए.डी.बी सहायित ईआरपी परियोजना	1	322.01	322	322
	उप–योग (म.प्र. पावर मैनेजमेंट कंपनी)	**5001**	**1322.01**	**322**	**322**
III.	म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी				
1	राज्य शासन सहायित पारेषण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन कार्य	34162	16000	13455.93	1000

स. क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	स्वीकृत परिव्यय	बजट प्रावधान (प्रथम अनुपूरक बजट सहित)	पुनरीक्षित प्रस्तावित बजट प्रावधान	योजना व्यय (दिसंबर 2015 तक)
1	2	3	4	5	6
2	जायका सहायित पारेषण परियोजना	30358	30358	12400	9881
3	ए.डी.बी सहायित पारेषण परियोजना	27327	27327	27327	2178
	उप–योग (म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी)	91847	73685	53182.93	13059
IV.	म.प्र. की वितरण कंपनियां				
1	राज्य शासन सहायित उप–पारेषण एवं वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन कार्य	141036	51752	36052	38593
2	ए.डी.बी सहायित उप–पारेषण एवं वितरण परियोजना	1000	13469	10000	7736
3	ए.डी.बी सहायित फीडर विभक्तिकरण योजना	19900	24300	16671.61	7912
4	नवीन कृषि पंपों के कनेक्शन हेतु अनुदान	33698.44	21500	38798	20572
5	ए.डी.बी सहायित उप–पारेषण एवं वितरण प्रणाली की नवीनीकरण योजना	20000	18230	1258.54	7977
6	मे. नेपा लिमि. हेतु निवेश	860	0	0	0
	उप–योग (वितरण कंपनियां)	216494.44	129251	102780.15	82790
V	**अन्य योजनायें**				
1	राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	3071	3071	3071	2622
2	डी.एफ.आइ.डी., आईटी/ई गवर्नेंस, पालिसी रिफार्मस, इन्टरप्राइस	1	0	0	0
	उप–योग (अन्य योजनायें)	**3072**	**3071**	**3071**	**2622**
	योग (योजना मद से)	**386291.44**	**272829.02**	**203266.09**	**100912**
	योजना मद के अतिरिक्त अन्य वित्तीय संस्थाओं, यथा उर्जा वित्त निगम, आर.ई.सी. व भारत सरकार इत्यादि से	**462038**	**462038**	**317141**	**117419**
	कुल योग (म.प्र. राज्य विद्युत क्षेत्र)	**848329.44**	**734867.02**	**520407.09**	**218331**

प्रपत्र–3

म.प्र. पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की ताप एवं जल विद्युत इकाईयों की स्थापित क्षमता
(दिनांक 31–12–2015 की स्थिति में)

(मेगावाट में)

ताप एवं जल विद्युत क्षमता मेगावाट में				
विद्युत गृह	**स्थान**	**इकाई**	**क्षमता**	**म.प्र.का अंश**
		ताप विद्युत गृह		
अमरकंटक ता0वि0गृह क्र–2	चचाई, जिला अनूपपुर	2X120 (सेवानिवृत्ति प्रस्तावित)	240	240
अमरकंटक ता0वि0गृह, क्र–3		1X210	210	210
सतपुड़ा ता0वि0गृह, क्र–2	सारणी, जिला बैतूल	1X200	200	200
सतपुड़ा ता0वि0गृह, क्र–3		3X210	630	630
सतपुड़ा ता0वि0गृह, क्र–4		2X250	500	500
संजय गांधी ता0वि0गृह, क्र–1 एवं 2	बिरसिंहपुर, जिला उमरिया	4X210	840	840
संजय गांधी ता0वि0गृह, क्र–3		1X500	500	500
श्री सिंगाजी ता0वि0परि0	डोंगलिया जिला खंडवा	2X600	1200	1200
कुल ताप विद्युत			**4320**	**4320**
		जल विद्युत		
गांधी सागर	गांधी सागर, जिला मंदसौर	5X23	115	57.5
पेंच	पेंज, जिला नागपुर	2X80	160	107
बरगी	बरगी, जिला जबलपुर	2X45	90	90
टोंस	टोंस, जिला रीवा	3X105	315	315
बाण सागर देवलोंन	देवलोंन, जिला शहडोल	3X20	60	60
बाण सागर सिलपारा	सिलपारा, जिला रीवा	2X15	30	30
बाण सागर–4	झिन्ना, जिला सतना	2X10	20	20
मड़ीखेड़ा	जिला शिवपुरी	3X20	60	60
बिरसिंहपुर	बिरसिंहपुर , जिला उमरिया	1X20	20	20
राजघाट	राजघाट, जिला अशोकनगर	3X15	45	22.5
कुल जल विद्युत			**915**	**782**
		अन्य राज्यो स्थित जल विद्युत गृह		
राणाप्रताप सागर			172	86
जवाहर सागर			99	49.5
सकल जल विद्युत क्षमता				**917.5**

प्रपत्र–4

पश्चिम क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं में म.प्र. राज्य का अंश सायंकालीन शीर्ष मांग के समय (समय 18.00 से 22.00 बजे तक)
(30.10.2015 की स्थिति में)

(सभी आंकडे मेगावाट में)

क्र.	विद्युत गृह	इकाई की संख्या क्षमता	विद्यमान स्थापित क्षमता	आवंटित अंश	अनावंटित अंश में से आवंटित अंश	अनावंटित अंश में से बुंदेलखंड क्षेत्र को विशेष आवंटित अंश	अनावंटित अंश में से राजगढ़ सोलर के विरूद्ध आवंटित अंश	कुल आवंटित अंश
1	कोरबा सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन (छत्तीसगढ़ में स्थित)	3 x 200 + 3 x 500	2100.00	400.00 (19.05%)	25.80	52.63	9.13	487.56
2	कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन (छत्तीसगढ़ में स्थित) स्टेज 3	1 x 500	500.00	62.50 (12.50%)	12.18	0	2.21	76.89
3	विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन–I (मध्यप्रदेश में स्थित)	6 x 210	1260.00	385.00 (30.56%)	23.03	32.26	5.60	445.89
4	विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन–II (मध्यप्रदेश में स्थित)	2 x 500	1000.00	273.00 (27.3%)	17.40	25.47	4.42	320.29
5	विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन–III (मध्यप्रदेश में स्थित)	2 x 500	1000.00	200.00 (20.00%)	17.40	25.47	4.42	247.29
6	विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन–IV (मध्यप्रदेश में स्थित)	2 x 500	1000.00	256.41 (25.64%)	24.37	0	4.42	285.20
7	विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन–V (मध्यप्रदेश में स्थित)	1 x 500	500.00	127.86 (25.57%)	12.18	0	2.21	142.25
8	सीपत सुपर थर्मल पावर स्टेशन–I (छत्तीसगढ़ में स्थित)	3 x 660	1980.00	283.00 (14.29%)	48.25	0	8.75	340.00
9	सीपत सुपर थर्मल पावर स्टेशन–II (छत्तीसगढ़ में स्थित)	2 x 500	1000.00	143.00 (14.30%)	16.54	25.47	4.42	189.43
10	मोदा सुपर थर्मल पावर स्टेशन–I	2 x 500	1000.00	156.41 (15.64%)	24.37	0	4.42	185.20
11	काकरापार आणविक पावर स्टेशन (गुजरात में स्थित)	2 x 220	440.00	93.00 (21.14%)	6.34	11.21	0	110.55
12	तारापुर आणविक पावर स्टेशन (महाराष्ट्र में स्थित)	2 x 540	1080.00	180.00 (16.67%)	21.44	27.50	0	228.94
13	कवास गैस आधारित पावर स्टेशन (गुजरात में स्थित)	4 x 106 + 2 x 116.1	656.20	140.00 (21.33%)	0.15	0	0	140.15
14	गंधार गैस आधारित पावर स्टेशन (गुजरात में स्थित)	3 x 144.3 + 224.49	657.39	117.00 (17.80%)	0.17	0	0	117.17
	कुल		14173.59	2817.18	249.61	200.00	50.00	3316.79

I. पूर्वी क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं में म.प्र. का अंश

1	पूर्वी क्षेत्र के राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के कहलगांव – II से आवंटित अंश में से म.प्र. राज्य को आवंटित अंश	74 मेगावाट
	कुल	**74 मेगावाट**

II केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं में म.प्र. का कुल अंश

1	पश्चिम क्षेत्र	3316.79 मेगावाट
2	पूर्व क्षेत्र	74.00 मेगावाट
	कुल	**3390.79 मेगावाट**

पश्चिम क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं में म.प्र.राज्य का
(30.10.2015 की स्थिति में)
अन्य अवधि में (समय 00.00 से 18.00 बजे एवं 22.00 से 24.00 बजे तक)

(सभी आंकडे मेगावाट में)

क्र.	विद्युत गृह	इकाई की संख्या क्षमता	विद्यमान स्थापित क्षमता	आवंटित अंश	अनावंटित अंश में से आवंटित अंश	अनावंटित अंश में से बुंदेलखंड क्षेत्र को विशेष आवंटित अंश	अनावंटित अंश में से राजगढ़ सोलर के विरूद्ध आवंटित अंश	कुल आवंटित अंश
1	कोरबा सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन (छत्तीसगढ़ में स्थित)	3 x 200 + 3 x 500	2100.00	400.00 (19.05%)	29.28	52.63	9.13	491.04
2	कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन (छत्तीसगढ़ में स्थित) स्टेज 3	1 x 500	500.00	62.50 (12.50%)	13.83	0	2.21	78.54
3	विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन–I (मध्यप्रदेश में स्थित)	6 x 210	1260.00	385.00 (30.56%)	26.13	32.26	5.60	448.99
4	विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन–II (मध्यप्रदेश में स्थित)	2 x 500	1000.00	273.00 (27.3%)	19.74	25.47	4.42	322.63
5	विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन–III (मध्यप्रदेश में स्थित)	2 x 500	1000.00	200.00 (20.00%)	19.74	25.47	4.42	249.63
6	विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन–IV (मध्यप्रदेश में स्थित)	2 x 500	1000.00	256.41 (25.64%)	27.65	0	4.42	288.48
7	विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन–V (मध्यप्रदेश में स्थित)	1 x 500	500.00	127.86 (25.57%)	13.83	0	2.21	143.90
8	सीपत सुपर थर्मल पावर स्टेशन–I (छत्तीसगढ़ में स्थित)	3 x 660	1980.00	283.00 (14.29%)	54.75	0	8.75	346.50
9	सीपत सुपर थर्मल पावर स्टेशन–II (छत्तीसगढ़ में स्थित)	2 x 500	1000.00	143.00 (14.30%)	18.77	25.47	4.42	191.65
10	मोदा सुपर थर्मल पावर स्टेशन–I	2 x 500	1000.00	156.41 (15.64%)	27.65	0	4.42	188.48
11	काकरापार आणविक पावर स्टेशन (गुजरात में स्थित)	2 x 220	440.00	93.00 (21.14%)	7.19	11.21	0	111.40
12	तारापुर आणविक पावर स्टेशन (महाराष्ट्र में स्थित)	2 x 540	1080.00	180.00 (16.67%)	24.33	27.50	0	231.83
13	कवास गैस आधारित पावर स्टेशन (गुजरात में स्थित)	4 x 106 + 2 x 116.1	656.20	140.00 (21.33%)	0.17	0	0	140.17
14	गंधार गैस आधारित पावर स्टेशन (गुजरात में स्थित)	3 x 144.3 + 224.49	657.39	117.00 (17.80%)	0.19	0	0	117.19
	कुल		14173.59	2817.18	283.24	200.00	50	3350.42

I. पूर्वी क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं में म.प्र. का अंश

1	पूर्वी क्षेत्र के राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के कहलगांव – II से आवंटित अंश में से म.प्र. राज्य को आवंटित अंश	74 मेगावाट
कुल		**74 मेगावाट**

II केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं में म.प्र. का कुल अंश

1	पश्चिम क्षेत्र	3350.42 मेगावाट
2	पूर्व क्षेत्र	74.00 मेगावाट
कुल		**3424.42 मेगावाट**

10वीं पंचवर्षीय योजना में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत स्वीकृत 8 योजनायें

क्र	जिले का नाम	स्वीकृत राशि (रू. लाख में)	अविद्युतीकृत ग्राम	विद्युतीकृत ग्राम (सघन विद्युतीकरण हेतु)	गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राही
1	2	3	4	5	6
म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर					
1	छिंदवाड़ा	6983.07	2	1885	39357
2	दमोह	4706.92	0	1097	55644
3	जबलपुर	6800.43	13	1365	48517
4	सिवनी	7502.18	23	1545	61925
	कुल	25992.60	38	5892	205443
म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि., भोपाल					
5	गुना	9774.94	0	1241	15856
6	अशोक नगर	8409.09	72	739	17498
	कुल	18184.00	72	1980	33354
म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि., इंदौर					
7	इन्दौर	3614.43	0	625	24428
8	उज्जैन	4822.95	0	1096	26332
	कुल	**8437.38**	**0**	**1721**	**50760**

11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रथम चरण में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत स्वीकृत 24 योजनायें

क्र	जिले का नाम	स्वीकृत राशि (रू. लाख में)	अविद्युतीकृत ग्राम	विद्युतीकृत ग्राम (सघन विद्युतीकरण हेतु)	गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राही
1	2	3	4	5	6
म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर					
1	अनूपपुर	3111.17	3	419	16552
2	बालाघाट	6285.00	0	1149	51938
3	छतरपुर	2860.60	24	506	22220
4	डिंडौरी	3991.57	0	843	24217
5	कटनी	4842.38	11	849	66691
6	मंडला	3381.13	15	1134	25341
7	नरसिंहपुर	4829.91	0	1033	59936
8	पन्ना	3914.32	17	848	43217
9	रीवा	11645.49	178	1217	38866
10	सागर	6605.51	71	1763	67594
11	सतना	4493.44	38	1399	43989
12	शहडोल	4656.09	6	555	29301
13	सीधी / सिंगरौली	8786.78	8	1342	66664
14	टीकमगढ़	5598.54	0	864	38140
15	उमरिया	2711.00	4	526	30463
म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि., भोपाल					
16	बैतूल	9838.14	0	1150	45513
17	हरदा	3352.54	11	276	15363
18	मुरैना	9455.76	157	612	35444
19	दतिया	2810.20	0	284	14452
20	श्योपुर	2379.54	2	141	10942
21	शिवपुरी	6768.07	4	641	38705
म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि., इंदौर					
22	धार	9476.79	0	1457	60188
23	झाबुआ	9139.40	14	1242	57360
24	रतलाम	7503.00	0	1051	36199
कुल		**138436.37**	**563**	**21301**	**939295**

11वीं पंचवर्षीय योजना में द्वितीय चरण में राजीव गांधी ग्रामीण विधुतीकरण योजनान्तर्गत स्वीकृत 20 योजनायें

क्र	जिले का नाम	स्वीकृत राशि (रू. लाख में)	अविधुतीकृत ग्राम	विधुतीकृत ग्राम (सघन विधुतीकरण हेतु)	गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राही
1	2	3	4	5	6
म.प्र.पूर्व क्षेत्र विधुत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर					
1	बालाघाट	3445.07	78	00	2752
2	छतरपुर	4750.08	15	526	30547
3	सतना	3152.43	6	326	8694
4	सीधी	2926.95	4	286	13776
म.प्र.मध्य क्षेत्र विधुत वितरण कंपनी लिमि., भोपाल					
5	भोपाल	2515.39	0	499	15989
6	रायसेन	6318.82	1	1376	29389
7	विदिशा	7163.31	11	1501	33972
8	होशंगाबाद	4456.88	0	896	28649
9	सीहोर	4553.71	0	1011	16600
10	राजगढ़	8142.60	5	1671	51418
11	ग्वालियर	2950.75	0	583	20067
12	भिंड	4496.04	5	884	35509
म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विधुत वितरण कंपनी लिमि., इंदौर					
13	बड़वानी	5327.82	0	647	21975
14	बुरहानपुर	2352.65	0	260	26213
15	देवास	5801.26	0	1055	27156
16	खण्डवा	4188.10	0	510	21568
17	खरगोन	8994.24	6	1175	15119
18	मन्दसौर	4598.38	0	906	20580
19	नीमच	2332.11	0	451	8558
20	शाजापुर	5883.61	0	1068	37935
	कुल	**94350.2**	**131**	**15631**	**466466**

12वीं पंचवर्षीय योजना में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत स्वीकृत 34 योजनायें

क्र	जिले का नाम	स्वीकृत राशि (रू. लाख में)	अविद्युतीकृत ग्राम	विद्युतीकृत ग्राम (सघन विद्युतीकरण हेतु)	गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राही
1	2	3	4	5	6
म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर					
1	अनूपपुर	3898.98	13	505	17841
2	बालाघाट	5257.31	16	1153	27154
3	छतरपुर	3918.12	2	1075	5055
4	छिंदवाड़ा	4066.24	1	1543	32845
5	डिंडौरी	5669.96	39	694	22326
6	जबलपुर	2270.55	0	1359	43889
7	कटनी	2836.99	10	852	17976
8	मंडला	5935.52	3	1136	19159
9	पन्ना	5925.84	68	865	29568
10	रीवा	15972.5	0	1498	42549
11	सागर	4020.23	0	1652	57614
12	सतना	3564.69	0	1583	35109
13	सीधी	5947.40	1	861	8730
14	शहडोल	3721.93	0	771	32470
15	टीकमगढ़	2095.29	1	426	7688
म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि., भोपाल					
16	बेतूल	4031.33	–	1962	21445
17	हरदा	1069.88	–	709	9365
18	रायसेन	1031.56	–	517	13454
19	विदिशा	1304.19	–	1941	12911
20	दतिया	2144.20	–	855	5627
21	श्योपुर	2951.38	–	252	8658
22	गुना	4966.87	–	894	20000
23	अशोकनगर	4737.96	–	363	16750
24	शिवपुरी	6902.09	–	762	25545
25	मुरैना	11111.43	–	3101	19071
26	भिंड	1959.67	–	1861	16291
म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि., इंदौर					
27	अलिराजपुर	3826.05	4	288	14260
28	धार	5231.24	0	690	23925
29	खण्डवा	3418.79	0	654	55080
30	इन्दौर	1169.94	0	371	3901
31	झाबुआ	5980.23	0	462	22450
32	नीमच	2477.8	2	549	19921
33	रतलाम	2369.03	0	590	25939
34	उज्जैन	1275.85	0	396	6988
	कुल	**143061.04**	**160**	**33190**	**741554**

प्रपत्र–7

विद्युत वितरण कंपनी की क्षेत्रवार वितरण केन्द्रों की संख्या
(दिसम्बर, 2015 की स्थिति)

म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनो लिमिटेड, जबलपुर (426 वितरण केन्द्र)

I	जबलपुर क्षेत्र	198	II	सागर क्षेत्र	114
1	नरसिंहपुर वृत्त	21	8	सागर वृत्त	42
	नरसिंहपुर	13		सागर शहर	1
	गाडरवारा	8		बण्डा	9
2	छिंदवाडा वृत्त	64		रहली	11
	पाढुर्णा	10		बीना	9
	जुन्नारदेव	8		सागर	12
	अमरवाडा	12	9	दमोह वृत्त	18
	शहर संभाग छिंदवाड़ा	2		उत्तर दमोह	9
	पूर्व छिन्दवाडा	13		दक्षिण दमोह	9
	सौसर	12	10	टीकमगढ वृत्त	19
	परासिया	7		टीकमगढ	11
3	सिवनी वृत्त	44		पृथ्वीपुर	8
	सिवनी	15	11	छतरपुर वृत्त	35
	लखनादौन	8		छतरपुर	13
	बालाघाट	7		खजुराहो	11
	बैहर	3		पन्ना	11
	वारासिवनी	11	III	**रीवा क्षेत्र**	**114**
4	मंडला वृत्त	22	12	शहडोल वृत्त	25
	मंडला	15		शहडोल	10
	डिंडोरी	7		अनूपपुर	5
5	जबलपुर शहर वृत्त	13		उमरिया	10
	नगर पूर्व	2	13	सतना वृत्त	34
	नगर पश्चिम	3		सतना	12
	नगर उत्तर	3		शहर सतना	5
	नगर दक्षिण	3		मैहर	11
	विजयनगर	2		अमरपाटन	6
6	जबलपुर वृत्त	20	14	रीवा वृत्त	30
	जबलपुर	9		शहर रीवा	3
	पाटन	6		त्योंथर	7
	सिहोरा	5		पश्चिम रीवा	7
7	कटनी वृत्त	14		पूर्व रीवा	7
	शहर कटनी	4		मऊगंज रीवा	6
	कटनी	10	15	सीधी वृत्त	25
				सीधी	18
				शहर बैढन	2
				बैढन	5

मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कपंनी लिमि. (341 वितरण केन्द्र/जोन)

I भोपाल क्षेत्र	182	II ग्वालियर क्षेत्र	159
1.भोपाल (सिटी) वृत्त	23	1. ग्वालियर (सिटी) वृत्त	18
भोपाल (सिटी पूर्व)	5	ग्वालियर (सिटी उत्तर)	5
भोपाल (सिटी उत्तर)	8	ग्वालियर (सिटी दक्षिण)	3
भोपाल (सिटी दक्षिण)	6	ग्वालियर (सिटी पूर्व)	5
भोपाल (सिटी पश्चिम)	4	ग्वालियर (केन्द्रीय संभाग)	5
2. भोपाल वृत्त	35		
भोपाल (ओ.एण्ड एम.)	11	2. ग्वालियर वृत्त	30
मंडीदीप (औद्योगिक क्षेत्र)	1	ग्वालियर (ओ.एंड एम.)	8
रायसेन	9	[illegible]	12

बरेली	6	डबरा	9
नसरुल्लागंज	3	मालनपुर वितरण केन्द्र	1
औबेदुल्लागंज	6	3. गुना वृत्त	29
		गुना	10
3 विदिशा वृत्त	13	राघोगढ	8
विदिशा	6	अशोकनगर	7
गंजबासौदा	7	मुंगावली	4
4. सीहोर वृत्त	23	4. शिवपुरी वृत्त	23
सीहोर	14	शिवपुरी – I	7
आष्टा	9	शिवपुरी – II	10
		पिछोर	6
5. राजगढ़ (ब्यावरा) वृत्त	24		
राजगढ़	9	5. मुरैना वृत्त	25
नरसिंहगढ़	8	मुरैना – I	10
ब्यावरा	7	मुरैना – II	6
		सबलगढ़	9
6. होशंगाबाद वृत्त	34	अम्बाह	–
होशंगाबाद	7		
इटारसी	6	6. भिण्ड वृत्त	20
हरदा	10	भिण्ड	6
पिपरिया	11	मेहगांव	4
		लहार	6
7. बैतूल वृत्त	30	गोहद	4
बैतूल (उत्तर)	10		
बैतूल (दक्षिण)	10	7.श्योपुर वृत्त	14
मुलताई	10	श्योपुर (उत्तर)	10
		श्योपुर (दक्षिण)	4

मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कपंनी लिमि. (416 वितरण केन्द्र / जोन)			
I इन्दौर क्षेत्र	**215**	**II उज्जैन क्षेत्र**	**201**
1 इन्दौर (शहर) वृत्त	28	1 उज्जैन (संचा./संधा.) वृत्त	43
इन्दौर (शहर) पूर्व	6	उज्जैन (शहर) पूर्व	5
इन्दौर (शहर) पश्चिम	5	उज्जैन (शहर) पश्चिम	4
इन्दौर (शहर) उत्तर	6	उज्जैन (संचा./संधा.)	7
इन्दौर (शहर) दक्षिण	5	बडनगर	9
इन्दौर (शहर) मध्य	6	महिदपुर	4
2 इन्दौर (संचा./संधा.) वृत्त	36	नागदा	7
इन्दौर (संचा./संधा.)	11	तराना	7
महू	13	2. देवास (संचा./संधा.) वृत्त	33
देपालपुर	8	देवास (शहर)	4
पीथमपुर	4	देवास (संचा./संधा.)	8
3 धार (संचा./संधा.) वृत्त	34	कन्नौद	6
धार (संचा./संधा.)	15	सोनकच्छ	7
राजगढ	13	बागली	8
मनावर	6	3. शाजापुर (संचा./संधा.) वृत्त	22
4 झाबुआ (संचा./संधा.) वृत्त	20	शाजापुर (संचा./संधा.)	11
झाबुआ (संचा./संधा.)	13	शुजालपुर	11
अलीराजपुर	7	4. आगर (संचा./संधा.) वृत्त	10
5 खंडवा (संचा./संधा.) वृत्त	21	आगर (संचा./संधा.)	6
खंडवा (शहर)	1	सुसनेर	4
खंडवा (I)	5	5. रतलाम (संचा./संधा.) वृत्त	28
खंडवा (II)	10	रतलाम (शहर)	1
पंधाना	5	रतलाम (संचा./संधा.)	11
6 खरगोन (संचा./संधा.) वृत्त	43	जावरा	९

खरगोन (I)	10	आलोट	7
खरगोन (I I)	8	6. मंदसौर (संचा./संधा.) वृत्त	40
बडवाह	10	मंदसौर (संचा./संधा.)	11
मण्डलेश्वर	15	सीतामउ	8
7 बुरहानपुर (संचा./संधा.) वृत्त	15	मल्हारगढ	9
बुरहानपुर (शहर)	1	गरोट	12
बुरहानपुर (संचा./संधा.)	14	7. नीमच (संचा./संधा.) वृत्त	25
8 बडवानी (संचा./संधा.) वृत्त	18	नीमच (संचा./संधा.)	7
बडवानी (संचा./संधा.)	9	जावद	9
सेंधवा	9	मनासा	9

फीडर सेपरेशन का लोकार्पण करते हुए ऊर्जा मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल

ऊर्जा विभाग, मध्यप्रदेश शासन